हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 फरवरी, 2004

खण्ड–1, अंक–5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 12 फरवरी, 2004

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	21
निलम्बित सदस्यों श्री रघुबीर सिंह कादियान तथा श्री जयप्रकाश बरवाला को वापिस बुलाने के लिए अनुरोध करना	24
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	24
वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना	25

HSB-2

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 12, फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल होगा।

Allotment of Agencies by HAFED

***1670. Sh. Rambir Singh :** Will the Minister for Co-operation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot Agencies by the HAFED for selling of its products at District Headquarters and Tehsil Headquarters ?

सकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) : नहीं श्रीमान् जी। हालांकि, हैफेड अपने उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण स्तर पर फ्रैन्चाईजिज नियुक्त करने के लिए कदम उठा रही है।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह मामला बेरोजगारी से सम्बन्ध रखता है। मैं जानना चहूंगा कि क्या बेरोजगार लोगों को हैफेड की एजेंसीज जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लाक स्तर पर दी जाएंगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हैफेड एक कमर्शियल संस्था है जो अच्छे-अच्छे प्रौडैक्ट बनाती है अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो उन प्रोडैक्ट को बेचने में भी आसानी होगी। क्या मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री करतार सिंह भडाना : स्पीकर सर, सरकार का हैफेड की एजेंसीज गांव लैवल पर देने का विचार है। हैफेड के पास इस प्रकार की एजेंसीज लेने के लिए 300-350 एप्लीकेशंज आई थीं। जिन में से 154 व्यक्तियों को एजेंसीज का लाईसेंस दे दिया गया है। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह सरकार चौधरी देवी लाल जी के बताये हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार है और उसी रास्ते पर यह मौजूदा सरकार चल रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमनें ये एजेंसीज दी हैं ताकि सभी लैवल पर लोगों को रोजगार मिल सके। गांव लैवल पर यदि कोई और व्यक्ति भी हैफेड की एजेंसीज लेना चाहेगा तो उसको भी दे दी जायेगी। जिला लैवल पर भी ऐसी एजेंसीज देने के लिए हम विचार कर रहे हैं।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हैफेड को जो प्रोफिट होता है उनको वह इन भागीदारों में शेयर करती है या खुद अपने पास रख लेती है।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हैफेड प्रोफिट का 5 प्रतिशत शेयर अपने पास रखती है और बाकी का प्रोफिट सोसायटी को दे देती है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से हैफेड मेजर शेयर अपने पास रखती है जबकि मिनी बैंक तक जो शेयर जाना चाहिए वह नहीं जा पाता। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय में सरकार पुनः विचार करके इसका सरलीकरण करने पर विचार करेगी ?

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, सरकार की सोच है कि गांव में एजेंसी दे दिए जाने के बाद गांव में हैफेड प्रोडैक्ट को खुद पहुंचने का साधन मिल जायेगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें हैफेड को प्रोफिट की कोई जरूरत नहीं है। यह देन चौधरी देवी लाल जी की दी हुई है और उसी पर सरकार अमल कर रही है। इस संस्था का प्रोफिट कमाने का अपना ध्येय नहीं है, इसका ध्येय सिर्फ रोजगार देना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आप बताएं कि जो गांव में लोगों को एजेंसीज देने जा रहे हैं उनमें कौन-कौन से प्रोडैक्टस रखने का लाईसेंस देंगे ?

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल तो खाद ही देने का मेन काम है।

श्री अध्यक्ष : खाद के अलावा हैफेड के बहुत सारे प्रोडैक्टस जैसे तेल, घी, चावल आदि भी हैं। आप बताएं कि क्या खाद की ही एजेंसीज देंगे या इन दूसरे प्रोडैक्टस को भी रखने की इजाजत देंगे।

श्री करतार सिंह भडाना : दूसरे प्रोडैक्टस को भी देने का मामला विचाराधीन है, इसकी हम कोशिश करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1693

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री तेजवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Re-starting of Diploma in Modern Office Practice

***1743. Shri Padam Singh Dahiya :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Diploma Course in Modern Office Practice in Government Polytechnic College Sonepat has been stopped; if so, the reasons thereof; and

(b) whether the Course, as referred to in part (a) above is likely to be restarted again; if so, the time by which it is likely to be re-started ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) श्रीमान जी, राजकीय बहुतकनीकी, सोनीपत में मार्डन आफिस प्रैक्टिस का डिप्लोमा कोर्स कभी भी आरम्भ नहीं हुआ अतः इसे बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) आवश्यक अधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपरांत सत्र 2005-06 से इस कोर्स के आरम्भ करने बारे सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री पदम सिंह दहिया : अध्यक्ष महादेय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का डिप्लोमा करवाना बन्द कर दिया गया है यदि हां, तो इस डिप्लोमा को फिर से शुरू करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसे कब से शुरू किया जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के कोर्स के बारे में इन्होंने पूछना चाहा है और यह भी जानना चाहा कि इस कोर्स को कब से शुरू करने जा रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के प्रति छात्रों में कोई ज्यादा रुझान नहीं है और यह कोर्स जॉब ओरिऐंटिड भी नहीं है। इस कोर्स में कुछ रिफोर्म करके इसको ऑफिस मैनेजमैंट एण्ड कम्पयूटर ऐप्लीकेशन कोर्स करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें कम्पयूटर ऐड हो जाने से यह जोब ओरिऐंटिड कोर्स हो जाए। इस कोर्स के बारे में पहले भी कुछ ऐसी स्थिति रही है कि जहां पर भी यह कोर्स चलाया गया वहां पर कक्षा में पूरे छात्र नहीं हो पाए। जैसे कल्पना चावला राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान अम्बाला शहर में और राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान, सिरसा में है, राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान, उतावड़ में है, बी०बी०एस० बहुतकनीकी कन्या गुरुकुल, खानपुर में और वैश्य बहुतकनीकी संस्थान, रोहतक में हैं। स्पीकर सर, इनमें प्रवेश की स्थिति यह है कि 2001-2002 मे वैश्य बहुतकनीकी संस्थान में 44 सीटें थीं और 41 छात्रों ने वहां पर दाखिला लिया। इसी प्रकार से 2002-03 में 44 सीटें इनटैक की थीं और उसमें 19 छात्रों ने दाखिला लिया। 2003-04 में 44 सीटें थीं और 36 छात्रों ने दाखिला लिया था। स्पीकर सर, छात्रों में इस डिप्लोमा के प्रति रुझान नहीं है इसलिए हमने इस कोर्स को शुरू नहीं किया है। इसमें कुछ रिफोर्म करके ऑफिस मैनेजमैंट एण्ड कम्पयूटर ऐप्लीकेशन कोर्स करने का विचार है। जहां तक मेरे साथी ने कहा है कि इस कोर्स को बन्द करने का विचार है तो इसे बन्द नहीं किया गया है। कोर्सों के बारे में जो स्थिति है मैं उसके बारे में हाउस को थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे जो टैक्नीकल कोर्सिज गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से होते हैं उनकी जुलाई, 1999 से स्थिति इस प्रकार है कि इसमें इनटैक की 650 सीटें थीं इन्हे बढ़ा कर 990 किया गया है जो कि 52 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार से इन्जीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न कोर्सिज की 4002 सीटें थीं उनको बढ़ा कर 10,631 कर दिया गया है और कॉलेजों की संख्या 20 से बढ़ा कर 34 कर दी गई है जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम०टैक के लिए 141 सीटें थीं जिन्हे बढ़ाकर 226 कर दिया गया है यानि इसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्पीकर सर एम०बी०ए० के कोर्स के कॉलेजों की संख्या 8 थी उनको बढ़ा कर 15 कर दिया गया है। यानि कि इनटैक सीटें 400 थी जिन्हें बढ़ा कर 865 कर दिया गया है यानि 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एम०सी० एवं कोसिर्ज केवल दो कालिजिज में थे अब उनको 28 कालिजिज में कर दिया गया है और उनकी इनटैक सीटें 90 थीं जिनको बढ़ा कर 1525 कर दिया गया है यानि 160 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की गई है। होटल मैनेजमैंट एण्ड केटरिंग टैक्नोलोजी का कोर्स 60 सीटों से शुरू किया गया है इसी प्रकार से फार्मेसी कॉलेज दो थे वे बढ़ा कर 7 कर दिए गए हैं, इसमें 80 सीटें थीं जिन्हें बढ़ाकर 370 कर दिया गया है जो यानि 362 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पोलिटैक्निक संस्थान 25 थे वे बढ़ा कर 31 कर दिए गए हैं और इनमें 3945 सीटें थीं जिन्हे बढ़ा कर 6310 कर दिया गया है यानि 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह था कि

[श्री रामपाल माजरा]

पॉलिटैक्निक और इन्जीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 58 थी जो कि बढ़कर 117 हो गई है और इनमें सीटों की संख्या 9308 थी उन्हें बढ़ा कर 20,970 कर दिया गया है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

श्री अध्यक्ष : ये फिगर्ज कब से कब तक के हैं ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जुलाई, 1999 से 2003-04 तक के आंकड़ों का मैंने कम्पैरीजन किया है।

श्री गोपी चन्द गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बताना चहूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी गुड़गांव में इन्डस्ट्रीलाईजशन की दृष्टि से जो काम हुए हैं वह एक रिकार्ड है। उसके दृष्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में घोषणा की थी कि गुड़गांव में एक पोलिटैक्नीक कालेज खोला जाएगा। लेकिन उनकी यह घोषणा किसी न किसी वजह से लटक रही है। अध्यक्ष महोदय, आज गुड़गांव में सब कुछ मिल जाता है लेकिन वहां पर ज़मीन नहीं मिलती है। वहां की पंचायत उसके लिए पैसा लगाने के लिए भी तैयार है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो इन्स्टीच्यूट के लिए जमीन नहीं मिल रही है तो क्या हुड्डा को इसके लिए रियायती दरों पर ज़मीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुड़गांव में हमने बड़े एफर्टस करके जॉब ओरियंटिड कोर्स शुरू करवाया था। हरट्रोन के माध्यम से बडी मुश्किल से स्टैनोग्राफी का कोर्स शुरू किया गया था। लेकिन सुनने में आया है कि वहां से हरट्रोन शिफ्ट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताएं कि क्या वहां से हरट्रोन को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या वहां पर वह स्टैनोग्राफरी का कोर्स जारी रहेगा।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में पोलिटैक्नीक कॉलेज खोलने की बात की गई है तो इसके लिए एक क्राईटेरिया है कि अगर कहीं भी इस किस्म का कॉलेज खोलना होता तो वहां पर 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि गुडगांव में ज़मीन मिलना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज भी कोई एप्लीकेशन देता है तो इसके पहले ए.आई.सी.टी.ई. की परमिशन लेनी पड़ती है। अब इसकी स्टेट को अथौराईजेशन दे दी है। अगर स्टेट परमिशन देती है तो ए.आई.सी.टी.ई. को रैफर कर दिया जाता है। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की है उनको पूरा किया जाएगा। जहां तक गुड़गांव में जमीन की बात है, तो जमीन वहां पर नहीं मिलती है इस बारे में माननीय गहलोत जी ने भी बताया है। अध्यक्ष महादेय, बिना ज़मीन के कोई भी इन्स्टीच्यूट नही खोला जा सकता है। जहां तक पोलिटैक्नीक इन्स्टीच्यूट की बात है तो इस बारे में हम विचार करेंगे।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में वैसे तो बहुत ही विकास के कार्य हुए हैं और इस सरकार ने 39000 नौजवानों को नौकरियां प्रदान की हैं लेकिन बेरोजगारी की समस्या पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अध्यक्ष महोदय, जो युवा डिप्लोमा या डिग्री लेकर निकलते हैं, क्या उनको हरियाणा की प्राईवेट फर्मों में नौकरी की सुविधा प्रदान की जाएगी ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो भी युवा इंजिनियरिंग कालेजों से और पोलिटैक्नीक संस्थाओं से जॉब आरियंटिड कोर्स करके निकलते हैं, उनकी रिक्वीजिशन प्राईवेट फर्मों को भेज दी जाती है और वे फर्म उन युवाओं को नौकरी पर लगाते भी हैं। लेकिन यह बॉय लाज कम्पलसरी नहीं किया जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हरट्रोन का क्या फेट है ? हरट्रोन ने ऐसे कितने विद्यार्थी तैयार किए हैं जिनको जॉब मिली है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा जी को बताना चाहूंगा कि इनके सवाल का तारांकित प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर ये इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो अपना सवाल अलग से लिखकर भेज दें।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, इस सरकार ने आते ही यह नीति बनायी थी कि युवाओं को प्रोफेशनल और स्पेशलाईज ऐजुकेशन दी जाएगी क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि आप केवल यह नहीं सोच सकते कि सरकारी नौकरियों से आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जब आप युवाओं को प्रोफेशनल ऐजुकेशन दें ताकि इस तरह की ऐजुकेशन प्राप्त करके व अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। चाहे वे किसी प्राईवेट कम्पनी में लगें या सरकारी नौकरी में लगें लेकिन प्रोफेशनल ऐजुकेशन लेने के बाद उनके लिए सब जगहों पर नौकरी के दरवाजे खुल जाते हैं, पूरा वर्ल्ड उनके लिए ओपन हो जाता है, पूरी दुनिया खुल जाती है और अगर यहां का बच्चा प्रोफेशनली अच्छा होगा तो यह भी हो सकता है कि उसको इंग्लैण्ड या अमरीका में अच्छी नौकरी मिल सकती है। स्पीकर सर, हमारी इंस्टीच्यूशनल ऐजुकेशन बहुत बढ़िया है क्योंकि इनको इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ा गया है। पहले ऐजुकेशन आई०टी०आई०, पोलिटैक्निक कालेजिज में या इंजीनियरिंग कालेजिज में ही दी जाती थी और वह ट्रेड़ीशनल ऐजुकेशन चली आ रही थी मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, फलाना मैकेनिक या फिटर आदि कई इस तरह की ट्रेड चली आ रही थीं। मोटर्ज की ट्रैनिंग आई०टी०आई० के बजाए बाहर वर्कशाप में बढ़िया मिलती थी। इसलिए इनकी तरफ रुझान खत्म हो गया था। परन्तु अब सरकार ने इन्हें अपडेट करने के लिए इस दिशा में कदम उठाए हैं। अब इंडस्ट्रीज के साथ टैक्नीकल डिपार्टमेंट का टायअप रहता है कि किस एरिया में किस किस्म की इंड्रस्टी आ रही है और किस किस्म की इनको मैन पावर चाहिए। वे एक विजन रखते हैं। आज केवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता सारी दुनिया के साथ आज मुकाबला है। आज वर्ल्ड कम्पिटीशन हो रहा है ईवन मैन पावर का भी कम्पिटीशन हो रहा है। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल मैन पावर विशेषकर आई०टी० में अगर काम कर रही है तो वह हिन्दुस्तान की मैन पावर कर रही है। इसी बात को देखकर जैसा कि अभी सी०पी०एस० साहब ने बताया कि हरियाणा में चाहे वह टैक्नीकल या पोलटैक्निक लेवल पर हो, चाहे वह आई०टी०आई० लैवल पर हो या चाहे वह दूसरे प्रोफेशनल कोर्सिज हों, सामायिक प्रोफेशनल कोर्सिज खोले जा रहे हैं। चाहे उनको दो साल के लिए बंद करके तीसरे कोर्स शुरू करने पड़े लेकिन समय के हिसाब से कोर्स खोले जा रहे हैं क्योंकि अकेला ट्रेड़ीशनल कोर्स काम नहीं आएगा, काम वही आएगा जिस किस्म की इंडस्ट्रीज को मैन पावर चाहिए। इसलिए इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हुड्डा साहब ने जैसे हरट्रोन का जिक्र किया था। हरट्रोन ने भी जितनी दूसरी प्राईवेट कम्पनीज हैं उनके साथ कम्पीट किया है। जिला हैड क्वार्टर पर या सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर भी काफी फ्रैन्चाइज उसने दी है ताकि इनकी क्वालिटी अच्छी रहे और लोग वहां से प्राफेशनल ऐजुकेशन प्राप्त करके मार्किट में आयें। यह बात ठीक है कि अगर इस बारे में स्पैसिफिक आकड़े होते तो दिए जा सकते थे लेकिन यह सही है कि जो निट या एप्टैक वगैरा दूसरी संस्थाएं हैं उनसे भी बढ़िया काम हरट्रोन कर रहा है। निट या एप्टैक की तरफ जाने के बजाए हरट्रोन की फ्रैन्चाइज की तरफ लोग दौड़ रहे हैं जोकि हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है। हरट्रोन ने बहुत बढ़िया प्रोफेशनल काम किया है।

श्री गोपी चन्द गहलोत : माननीय स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने और नफे सिंह जी ने भी जॉब ओरिएन्टेड कोर्सिज के बारे अभी कहा। मेरा आपसे अनुरोध है, अनुरोध ही नहीं बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज गुड़गांव में खासकर आ रही हैं और जो इनमें स्थानीय लोगों को जॉब देने की बात बार-बार उठ रही है तो उसके दृष्टिगत वहां पर जॉब ओरियएन्टेड कोर्सिज लेटैस्ट शुरू करवाए जाएं। स्पीकर साहब, वहां पर पहले कुंडाहेड़ा, भोलाहेड़ा या सिहरोल गांव के जिन लोगों की जमीन इंडस्ट्रीज में गयी थी उनको नौकरी दिलवाने के लिए एक बड़ा आन्दोलन किया गया था, स्थानीय युवकों को रोजगार दिलवाने के लिए ऐजीटेशन करके गेट पर गिरफ्तारियां दी गयी थीं तब जाकर इन्डस्ट्री वालों ने कुछ स्थानीय लोगों को अपने यहां पर नौकरियों पर रखा था । लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि अब वहां पर मारूति में वी०आर०एस० के नाम सी०आर०एस० शुरू हो गयी है और मारूति के अंदर से वी०आर०एस० की आड़ में काफी स्थानीय लोग नौकरी से निकाले गये हैं। इन निकाले हुए लड़कों में ज्यादातर लड़के उन गांवों के हैं जिनकी जमीन जाने के बदले में उनको नौकरी दी गयी थी। तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार क्या कदम उठा रही है ?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक कहा कि पहले कम्पनी के अंदर धारणा यही थी कि लोकल टैलेंटस को वे इग्नोर करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि लोकल टैलेंटस स्ट्राइक वगैरह करेगा या यह करेगा वह करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद पहला सबसे बड़ा ऐग्जाम्पल तो मारूति का ही है। डिप्टी स्पीकर साहब को भी इस बारे में मालूम ही है क्योंकि इनका भी को-ओपरेशन वहां पर रहा था। जब मारूति में स्ट्राइक हुई थी तो यह बाहर के टैलेंटस की वजह से नहीं बल्कि लोकल टैलेंटस की वजह से ही बची थी। इसलिए अब यह कम्पनीज भी जान गयी हैं कि इनको लोकल टैलेंटस को भी लेना पड़ेगा। स्पीकर सर, सरकार तो इस पर अपना प्रभाव ही डाल सकती है। हमारे जो इंडस्ट्रीज या दूसरे डिपार्टमैंटस हैं वे इनके साथ लायजन रखते हैं। ये जो इस तरह से वी०आर०एस० या दूसरी तीसरी स्कीम्स लागू कर रहे हैं तो इसमें प्रयास यही रहेगा कि हरियाणा के जो बच्चे उनमें लगे हुए हैं उनको वे न निकालें। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कानूनी तौर पर कोई बाईंडिंग नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें जो नॉन टैक्नीकल और टैक्नीकल लोग प्रदेश में उपलब्ध हैं उनकी मेरिट बनती है उसमें वरीयता हरियाणा प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएगी। यह हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। यह मैं पूरे हाउस को सरकार की तरफ से कमिटमैंट करता हूं।

Introduction of Sector System in Villages

***1733 Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce sector system in villages on the pattern of HUDA; if so, the detail thereof ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि शहर की तरह गांव के लोगों को भी सुविधायें मिलें उन्हीं नीतियों पर चलते हुए विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं मैं उन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं -

राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक विकास खंड से कम से कम एक गांव को एक छोटा रिहायशी सैक्टर स्थापित करने के लिए, चुनने का निर्णय लिया है। लेकिन प्रथम चरण में, इस योजना के क्रियान्वित करने के लिए, प्रत्येक जिले में से एक गांव चुना जा रहा है। योजना का विवरण इस प्रकार है :—

1. ग्राम पंचायत रिहायशी क्षेत्र विकसित करने के लिए कीमत पर भूमि उपलब्ध कराएगी।
2. इसके लिए न्यूनतम 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।
3. प्लाट धारक पर कोई परीक्षण शुल्क और परिवर्तन शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
4. भवन मानचित्र संबंधित पंचायत द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
5. पक्की सड़कें, जल वितरण, सीवर/नालियां, विद्युतिकरण और सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, सड़कों के साथ पौधारोपण और पार्क आदि सुविधाएं दी जाएंगी।
6. जिस गांव में सामुदायिक केन्द्र/पंचायत घर की सुविधा नहीं है, वहां इनका भी निर्माण किया जाएगा।
7. क्षेत्र में एक छोटा वाणिज्यिक केन्द्र विकसित किया जाएगा।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो देवी रक्षम स्कीम है या जो कन्यादान स्कीम थी उसमें हर गरीब आदमी जो बी०पी०एल० के तहत आते हैं अब उनको इस के साथ जोड़ा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो हुडा के प्लॉट काटे जाएंगे उसमें भी क्या उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं यदि उनको शामिल किया जाएगा तो क्या उनसे भूमि की पूरी कीमत वसूली जाएगी या उसमें कुछ रियायत दी जाएगी, क्या सरकार का इस स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान है ?

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए कि जिस भी गांव की पंचायत की जमीन पर रिहायशी सैक्टर विकसित किया जाएगा उस जमीन को फ्री कॉस्ट न लेकर कीमत के आधार पर लिया जायेगा। पंचायत को भूमि की कीमत अदा करके महकमा उस जमीन को विकसित कर रहा है और उसके खर्च को अदा कर रहा है उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश की पालना करते हुए कम लागत पर जैसे ऊचाना है वहां पर गांव में जहां सड़कें बनी हैं और अन्य सुविधायें भी हैं वहां भाव ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी के उस निर्देश की अलग से पालना की है कि जिस गांव में इस तरह का सैक्टर विकसित होगा उसमें सिर्फ उस गांव के नागरिक को ही अप्लाई करने का अधिकार होगा बाहर के नागरिक को अप्लाई करने का अधिकार नहीं होगा। कम कीमत का अवश्य इसमें ध्यान रखा गया है उस पर जो लागत है उससे भी कुछ न कुछ कीमत पर विभाग इस तरह से सैक्टर विकसित करके लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि गांव में वैटर लीविंग फैस्लिटीज देने के लिए सैक्टर डिवैल्प करने की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन कस्बों में जहां की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन वहां पर आज तक कोई सैक्टर डिवैल्प नहीं किए गए हैं क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि जिन कस्बों की जनसंख्या ज्यादा है वहां भी हुडा द्वारा सैक्टर डिवैल्व किये जायेंगे ? जैसे महेन्द्रगढ का हैडक्वार्टर नारनौल में है लेकिन डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ है वहां पर आज तक कोई सैक्टर डिवैल्प नहीं हुआ है।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, महेन्द्रगढ़ जिले का हैड क्वार्टर नारनौल है और नारनौल में हुडा के सैक्टर हैं और साथ में लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड भी मकान उपलब्ध करा रहा है। जहां तक महेन्द्रगढ की बात है आज तक वहां के लोगों की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई कि वहां पर सैक्टर डिवैल्प किया जाए उनकी मांग आने के बाद उसको एग्जामिन करा लिया जायेगा। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे गांव हैं जहां प्लाट कम हैं और जनसंख्या ज्यादा है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर वहां के लोग सैक्टर डिवैल्प करवाने के इच्छुक हैं तो इस बारे में आवेदन माननीय सदस्य के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और विभाग को भिजवा दें उसको एग्जामिन करने के बाद अगर वायब्ल होगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हुडा के सैक्टर बनाने की प्रणाली को गांवों में प्रारम्भ किया जा रहा है और जिन गांवों को इस प्रणाली के तहत मन्जूरी दी गई है अगर उन गांवों की पंचायतों के पास अपनी जमीन नहीं है तो क्या यह प्रणाली वहां पर लागू की जायेगा ?

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, यह पहले से ही तय है कि जिन-जिन गावों का सैक्टर डिवैल्प करने के लिए चयन हुआ है इस बारे में निर्देश जारी किये गये थे कि जो पंचायत स्वेच्छिक तौर पर भूमि उपलब्ध करायेगी उसकी कीमत विभाग अदा करेगा और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां यह स्कीम लागू करना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी अगर पंचायत अपनी जमीन फ्री देती है तो उसमें विभाग की उस गांव में प्लाट की कीमत में छूट देने की क्या प्लानिंग है, कृपया बतायें।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, जमीन की लागत प्लाट की कीमत में से निकाल दी जायेगी और कई विभाग हमें जो सहयोग देते हैं जैसे पब्लिक हैल्थ पानी की व्यवस्था करता है और बिजली विभाग बिजली की सप्लाई करता है तो इस खर्चे की लागत ही रह जायेगी जो कि लगभग 200 रुपये प्रति गज के हिसाब से आयेगी। अगर पंचायत जमीन फ्री देती है तो एक प्लाट की कीमत लगभग 200 रुपये प्रति गज के हिसाब से आयेगी।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि पंचायत की जमीन चाहे सरकारी काम के लिए ली जाए तो वह शिफ्ट की शक्ल में हम नहीं लेंगे क्योंकि इस प्रकार तो पंचायत की जमीन समाप्त हो जायेगी और पंचायत की आमदनी समाप्त हो जायेगी। इसलिए जिस भी किसी पंचायत से कोई रकबा लिया जायेगा तो उस जमीन की कीमत पंचायत के खाते में बैंक में जमा कराई जायेगी। जहां तक गांवों में सैक्टर बनाने का ताल्लुक है। दान सिंह जी ने पूछा है तभी तो हमने तजुर्बे के तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर

एक-एक गांव का इस स्कीम के लिए चयन किया है फिर ब्लॉक लेवल पर भी शुरू करेंगे। हमारी मन्शा यह है कि गांवों में जहां जनसंख्या बढ़ गई है जहां रफ़ा हाजत के लिए जगह नहीं है और गांव सड़ रहे हैं। इस महकमे को तो आज तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ही समझा गया है किसी ने टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग महकमे को तवोज्जह नहीं दी। हमने डिपार्टमेंट की मीटिंग में अधिकारियों से पूछा कि यह महकमा टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग का है या हुडा का तो उन्होंने कहा कि टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग का महकमा है। फिर मैंने कहा कि फिर गांव इसकी सुविधा से वंचित क्यों हैं ? इसलिए हम गावों को यह सुविधा देने जा रहे हैं। इसके हिसाब से हम यह कोशिश करेंगे कि थोड़ी से थोड़ी कीमत पर गावों में सैक्टर के लिए प्लाट दिये जायें क्योंकि हमें पता है कि गावं के आदमी ज्यादा कीमत नहीं दे सकते । जहां तक चौधरी भागी राम जी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को छूट देने बारे जिक्र किया तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हुडा में इस प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की सुविधा या रियायत प्लाट में नहीं हो सकती है। हमारी मन्शा यह है कि गांवों के प्लाटों पर किसी प्रकार की स्क्रूटिनी फीस, किसी प्रकार के कन्वर्शन चार्जिज या और किसी प्रकार के चार्जिज हम गावों के लोगों से नहीं लेंगे। हमारी सोच केवल मात्र एक है कि गांव की बढ़ी हुई आबादी के दृष्टिगत लोगों को जैसे 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उसी प्रकार से आवास की अच्छी सुविधा दे सकें। यह सरकार की सोच है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1708

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भीमसेन गहता सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Out Break of Dengue

***1611 Shri Dev Raj Dewan :** (a) Whether the Government is aware of the fact that some deaths have been occurred in the State recently due to outbreak of dengue mysterious fever ; and

(b) If so, the steps so far taken or proposed to be taken to control the said disease ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) (क) हाँ जी। वर्ष 2003 में राज्य में डेन्गू ज्वर से 4 मृत्यु हुई (3 जिला करनाल में तथा एक जिला कुरुक्षेत्र में) । इसी प्रकार जापानी बुखार से एक मौत जिला करनाल में हुई थी।

(ख) डेन्गू तथा जापानी बुखार पर नियन्त्रण पाने हेतु निम्न पग उठाये गये :

- मलेरिया, डेन्गू तथा जापानी बुखार की रोकथाम हेतु एक एक्शन प्लान बनाया गया और सभी सम्बन्धित को भेजा गया।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं बायोलोजिस्टों द्वारा रोग एवं मच्छरों के सर्वेक्षण का कार्य नियमित तौर पर किया गया है।
- प्रभावित क्षेत्रों में डाक्टरों तथा पैरामैडीकल स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीमों द्वारा दौरा करके रोगियों की जांच की गई।
- दिन और रात में मैथालीन टेकनीकल या डैल्टामैथरीन की वाहन जड़ित मशीन से फौगिंग करवाई गई।

[डा० एम०एल० रंगा]

- सम्भावित घरों तथा उसके आस-पास के घरों में प्लस फौग मशीन से फौगिंग करवाई गई।
- टेमीफास से एंटी लारवल दवाई का छिड़काव किया गया।
- लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी गई और अनुरोध किया गया कि :
  * एडीज मच्छरों पर नियन्त्रण पाने हेतु उनके प्रजनन स्थलों जैसे कि कुलरों, टायरों ड्रमों, होदियों, पानी की टंकियों, फूलदानों आदि को सप्ताह में एक बार खाली करना।
  * मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना ।
  * पूरी बाजू की कमीज पहनना।
  * सुअरों को घरों से दूर रखना।
- रोगियों के लिए अलग वार्ड रखें गये और उन्हें मच्छरदानी उपलब्ध करवाई गई
- रोगियों का सभी आवश्यक उपचार किया गया।

पी०जी०आई०, चण्डीगढ़, पी०जी०आई०, रोहतक एवं एन०ए०एम०पी० दिल्ली से इन रोगों की रोकथाम हेतु विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया। वर्ष 2003 में मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त बिमारियों पर नियंत्रण पाने हेतु उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य प्लान स्कीम में 14 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई।

वर्ष 2004 में डेन्गू तथा जापानी बुखार पर नियंत्रण पाने हेतु एक एक्शन प्लान तैयार कर ली गई है। राज्य के सभी जिला मलेरिया अधिकारियों एवं बायोलोजिस्टों को एक माईक्रोप्लान बनाने हेतु कहा गया है ताकि इन रोगों तथा मच्छरों का सर्वेक्षण दृढ़ता से किया जा सकें ।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं रंगा साहब के जवाब से संतुष्ट हूं इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद!

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह जो जापानी बुखार की बात की गई है इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका मच्छर स्वच्छ पानी में पैदा होता है और अक्सर जब चावल बोया जाता है और उसमें पानी दिया जाता है उस बैल्ट के आसपास इसका ज्यादा प्रकोप होता है। अध्यक्ष महोदय, लगभग हर वर्ष इस बुखार का प्रकोप होता है, यह ठीक है कि सरकार ने फौगिंग

करवा दी, अच्छी बात है लेकिन इसके प्रकोप को हर साल होने से रोका जा सके और जहां-जहां पर पैडी की बैल्ट है और स्वच्छ पानी के साधन हैं वहां पर यह मच्छर पैदा न हो उसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० एम०एल०रंगा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न डेंगू बुखार का चल रहा था। डेंगू बुखार और जापानीज बुखार में थोड़ा अंतर है। जिस प्रकार से कोई एक दवाई लेने से एडिक्ट होता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब यह दवाई उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इसी प्रकार से पैडी एरिया में जो मच्छर पैदा होता है उस पर दवाई छिड़कते रहते हैं और बार-बार दवाई छिड़कने के कारण एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब कोई भी दवाई उस मच्छर पर असर नहीं करती और मच्छर के अंदर अपना विषैलापण आ जाता है और जब पैडी की कटाई होती है तो मजदूर लोग अपने बच्चों को पैडी के खेतों में सुलाकर ही कटाई करते हैं और मच्छर वहीं से निकलकर अपने नज़दीक से नजदीक उन बच्चों पर चोट करने की कोशिश करता है। और फिर वह विष युक्त किटाणु बच्चों के शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसे एक विशेष प्रकार के बुखार का नाम दे दिया जाता है। एहतियात बरतने के लिए कहा गया कि धान की कटाई के वक्त बच्चों को खेत के आसपास न रखा जाये। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पी०जी०आई०, चण्डीगढ़ और आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीच्यूट, दिल्ली में भी इस पर शोध कार्य किया गया है। हमारे विभाग ने भी शोध किया है कि भविष्य में इस पर कौन सी दवाई छिड़की जाये जो उन पर प्रभाव कर सके। प्रिकॉशन मैय्यर्ज जो सरकार की तरफ से किए गए हैं वह भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक माईक्रो प्लानिंग स्कीम तैयार की है। यह स्कीम अक्तूबर-नवम्बर महीने में पैडी सीजन एरिया में शुरू की गई जिसमें स्पैशल फोगिंग अभियान चलाया जाता है और लोगों को प्रिकॉशन के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी पी०एच०सीज० हैं या सब सैन्टर्ज हैं उनमें उचित दवाईयां उपलब्ध करवाई गई। साथ ही साथ यह भी प्रबंध किया गया कि यदि इस बुखार का कोई मरीज मिलता है तो उसको तुरन्त ही नजदीक के अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाया जाये ताकि सही समय पर उसका उपचार किया जा सके। पिछले साल इस बीमारी के 598 सस्पैक्टिड केसिज आये थे जिनको जिला अस्पताल में या किसी अन्य बड़े अस्पताल में ले गए थे जहां पर उनका इलाज करवाया गया। मैं एक पूरक प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि उस वक्त इन केसिज में से सिर्फ 4 व्यक्तियों की ही मृत्यु हो पाई थी।

Investment made in Power Sector

*** 1711. Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state the investment made so far in the power sector during the regime of present Government in comparison with the investment made, in this regard during the period from July, 1991 to May, 1996 and from May, 1996 to July, 1999 togetherwith the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

[श्री रामपाल माजरा]

विवरण

वर्तमान सरकार के शासनकाल के दौरन 2972.34 करोड़ रुपये का एक रिकार्ड निवेश किया गया है। जुलाई, 1991 से मई, 1996 तक की अवधि के दौरान 892.41 करोड़ रुपये तथा जून, 1996 से जुलाई, 1999 तक 1016.66 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

विद्युत क्षेत्र में करोड़ रुपयों में निवेश का विस्तृत विवरण ।

अवधि	ह.वि.प्र.नि.लि./ ह.रा.बि.बो.	उ.ह.वि.वि.नि.लि.	द.ह.बि.वि.नि.लि.	ह.वि.उ.नि.लि.	कुल रुपये करोड़ों में
जुलाई, 1991 से मई, 1996 तक	* 892.41	-	-	-	892.41
जून, 1996 से जुलाई, 1999 तक	**755.88	3.03	5.33	252.42	1016.66
अगस्त, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक	666.92	372.26	375.31	1557.85	2972.34

* हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड मई, 1996 तक अस्तित्व में था इसलिए निवेश सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए है।

** हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड दिनांक 14-8-1998 से ह.वि.प्र.नि. तथा ह.वि.उ.नि. में पुनर्गठित किया गया था तथा 1.7.1999 से ह.वि.प्र.नि. में से उ.ह.वि.वि.नि. तथा द.ह.बि.वि.नि. की उत्पत्ति हुई थी तद्नुसार खर्चे को प्रत्येक विद्युत निगमों में बांटा गया है।

श्री जसबीर मल्लोर : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यावाद करना चाहूंगा कि बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2972.34 लाख रुपये वर्तमान सरकार ने खर्च किए हैं। साथ ही साथ विवरण में यह भी दर्शाया गया है कि चौधरी भजन लाल जी के समय में व चौधरी बंसी लाल जी के समय में बिजली क्षेत्र में कितना खर्च किया गया । हमारी वर्तमान सरकार ने पहली सरकारों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा पैसा बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह पैसा किस-किस क्षेत्र में बिजली को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं जानना चाहूंगा कि नए सब-स्टेशन बनाने पर कितना पैसा खर्च हुआ, नई तारें आदि बिछाने पर कितना खर्च हुआ, ट्रांसफार्मरज आदि पर कितना पैसा खर्च हुआ और जो पुराने सब स्टेशंज थे उनकी आगुमन्टेशन आदि पर कितना पैसा खर्च हुआ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी ने खुद ही माना है कि एक रिकार्ड तोड़ प्रगति बिजली के क्षेत्र में हुई है। मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार ने हर क्षेत्र में पैसा बहुत लगाया है जिस कारण हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ा है। प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाने की धुरी बिजली है। जैसा कि मेरे साथी ने पूछा है कि विभिन्न मदों में कितना-कितना पैसा खर्च हुआ वह मैं सदन की जानकारी के लिए बता देता हूं कि

सबसे ज्यादा पैसा बिजली की जनरेशन के काम पर खर्च हुआ। चौधरी ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट के यूनिट नं० 6 पर 995.03 लाख रुपये, यूनिट नं० 2 पर 139.5 लाख रुपये यूनिट नं०1 पर 15.64 लाख रुपये यूनिट नं० 11 पर 22.74 लाख रुपये यूनिट नं० 3 पर 71.08 लाख रुपये खर्च किए गए । इसी प्रकार इसी प्लांट पर यूनिट नं० 1 से 6 तक पर सामान्य कार्य के लिए 60.61 लाख रुपये खर्च किए गए। इसी प्रकार से थर्मल प्लांट फरीदाबाद पर 45.66 लाख रुपये खर्च किए गए। पश्चिमी यमुना हाईडल प्रोजैक्ट चरण-1 पर 10.56 लाख रुपये खर्च किए गए। इसी प्रकार से चौधरी ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट पानीपत के 7वें और 8वें यूनिट पर भी 862.03 लाख रुपये खर्च किए गए । स्पीकर सर, पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नगर चरण-2 पर 41.60 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सूक्ष्मपन विद्युत परियोजना, काकरोई में 2.09 लाख रुपये खर्च किए गए जो कि कुल मिला कर 2258.09 लाख रुपये हुए हैं। इसी प्रकार से लाईनों की बाईफरकेशन करने के काम में 11 के०वी०ए० की लाईनों का बाईफरकेशन करने तथा प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करने पर सरकार ने 668 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 71 नये ग्रिड उपकेन्द्र बनाए गए हैं जिन पर 532 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, 240 केन्दों की क्षमता बढ़ाई गई और 1190 किलो मीटर की प्रसार लाईनें बिछाई गई हैं और 29 नये 33 के०वी०ए० के उपकेन्दों का निर्माण करने पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 127 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करना इसमें शामिल है। इसी प्रकार से भाखड़ा इकाई का नवीनीकरण करने के लिए उसका आधुनिकीकरण करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उत्तरी हरियाणा बिजली निगम तथा दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम पर भी पैसा खर्च किया गया है। स्पीकर सर, 33 के०वी०ए० के एक सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग सवा करोड़ रुपये खर्च होता है जब कि 66 के०वी०ए० के सब स्टेशन पर 4 से 6 करोड़ रुपये व्यय होते हैं। इसी प्रकार से 132 के०वी०ए० तथा 220 के०वी०ए० का सब स्टेशन बनाने पर 8 करोड़ रुपये से ले कर 20 करोड़ रुपये की लागत आती है। स्पीकर सर, अगर मैं सारे सब स्टेशनों के बारे में जो पैसा खर्च किया गया है वह बताऊंगा तो वह बहुत मोटी किताब है और उसको पढ़ने में बहुत समय लग जायेगा और माननीय चौधरी भजन लाल जी फिर कहेंगे कि किताब उठाकर खड़े हो जाते हैं। हर शहर, हर जिले में जहां पर भी यह महसूस किया गया कि पावर लोडिड लाईनें हैं उनको बाईफरकेट और ट्राईफरकेट किया गया है और वहां पर सब स्टेशन्ज बनाए गए हैं जिसकी वजह से पूरी फ्रिथ्वैंसी की बिजली दी गई और सारे हरियाणा के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी बिजली के मामले में पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं।

सरदार निशान सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सी०पी०एस० महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पिछले चार वर्ष के समय में बिजली के क्षेत्र में विशेषतौर पर ध्यान दिया है और बिजली के जैनरेशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लाईनों को ठीक किया गया है, सब स्टेशन्ज बनाए गए हैं लेकिन पिछले 2-3 साल से ग्राउण्ड वाटर नीचे जाने की वजह से वे ट्यूबवैल्ज जो पहले कम पावर की मोटरों से चलते थे यानि 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर या 15 हॉर्स पावर की मोटरों से चल रहे थे अब उनकी जगह पर 25 से 30 हॉर्स पावर की मोटरें लगाते हैं जिसके कारण सारे सब स्टेशन ओवर लोडिड हो गए हैं विशेषकर पैडी ऐरियाज के सब स्टेशन ज्यादा ओवर लोडिड हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो सब स्टेशन ओवर लोडिड हो गए हैं क्या पैडी सीजन से पहले महकमा उन ट्रांसफारमर्ज को बदलने के बारे कोई विचार कर रहा है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, सब-स्टेशन बनाने के लिए शैडयूल टाईम होता है 33 के०वी०ए० का एक सब स्टेशन बनाने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। जितनी भी एनाउंसमैंट्स होती हैं या हुई हैं उनकी लिस्ट यहां पर विधान सभा में प्रस्तुत की गई है कि कहां-कहां पर 33 के०वी०ए० और 66 के०वी०ए० सब स्टेशन्ज बनेंगे और उनके पूरे होने का शैडयूल टाईम क्या है ? शैडयूल्ड टाईम के मुताबिक सभी सब स्टेशन्ज पूरे किए जा रहे हैं और कमीशंड भी हो रहे हैं। जैसा कि मेरे माननीय साथी ने पैंडी ऐरिया के बारे में कहा है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर इनके ध्यान में कोई ऐसा सब स्टेशन है तो ये बता दें उसको रिव्यू करके और एग्जामिन करके जल्दी ही पूरा करवाने का काम करेंगे ।

श्री जसबीर मल्लौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि चौड़मस्तपुर 132 के०वी०ए० का सब स्टेशन मेरे हल्के में पड़ता है और लिस्ट में उसका नाम भी है, जिन सब स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करने की बात कही है लेकिन इस सब-स्टेशन पर आज तक कोई काम नहीं किया गया है। 220 के०वी०ए० सब स्टेशन तेपला का उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री जी करके आये थे उस समय अधिकारियों ने यह बात कही थी कि जिस वक्त यह चालू हो जाएगा उसके बाद हम चौड़मस्तपुर सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाने का काम शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस सब स्टेशन का काम जल्दी शुरू किया जाए। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दुराना गांव में 66 के०वी०ए० का सब स्टेशन बनाने के लिए पंचायत ने जमीन दे दी है और अधिकारीगण मौके पर जा कर सर्वे भी कर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सी०पी०एस० महोदय इन सब स्टेशनों का काम जल्दी शुरू करवाने के लिए आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक नए सब-स्टेशंज बनाने का सवाल है या क्षमता बढ़ाने का सवाल है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह इन्टर लिंक मामला होता है। जहां पर भी उनको जोड़ा जाता है, तो पहले उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है और बाद में सब-स्टेशन बनाया जाता है। माननीय सदस्य ने जो 3 सब-स्टेशन बनाने की बात की है तो इस बारे में मैं विभाग से नवीनतम जानकारी लेकर इनको बता दूंगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी के राज में ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट का दूसरा यूनिट जनवरी, 1999 में 110 मैगावाट से बढ़ाकर 118 मैगावाट का करने का काम ए०बी०बी० कम्पनी को 300 करोड़ रुपये के ठेके पर दिया गया था और वह काम चार साल में पूरा किया जाना था। लेकिन उस प्लांट का काम चार साल तक बंद रहा और इसकी वजह से ए०बी०बी० कम्पनी ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। वर्तमान सरकार ने वही यूनिट चालू पिछ वर्ष में 39 करोड़ में चालू कर दिया है जिससे पब्लिक के 261 करोड़ रुपए बचाए हैं। इस बारे में मैंने पहले भी प्रश्न किया था और मुझे यह जवाब दिया गया था कि इस बारे में इन्क्वायरी करवाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय में कोई इन्क्वायरी करवाई गई है, अगर करवाई गई तो उसकी रिपोर्ट आई है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में यह बताना चाहूंगा कि यह केस आर्बीट्रेशन में चल रहा है इसलिए इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है। उसका जो भी फैसला आएगा, उसी के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के साल्हावास में रैजिडैंशियल ऐरिये के ऊपर से बिजली की लाईनें गुजरती हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को हर वक्त मौत का भय बना रहता है। क्या मंत्री जी वहां से उन लाईनों को हटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अमूमन कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि बिजली की लाईनें पहले खींची गई थी और मकान बाद में बनाए गए थे। लेकिन हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि पहले मकान बनाए हुए हैं और उनके ऊपर से बिजली की लाईन खींची गई हों। अब जिन्होंने मकान बनाए हैं उनको देखना चाहिए कि वे अपने मकान वहां पर न बनाएं। हमारे पास लाल डोरे की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । अगर कोई ऐसी शिकायत आएगी तो वहां से उन बिजली की तारों को हटवाने का काम किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लाईनें बिछाने के बाद लोग मकान बना देते हैं जोकि उनको देखना चाहिए कि वे बिजली की लाईन के नीचे मकान न बनाएं। अध्यक्ष महोदय, जो जरूरी काम हैं उनको हमारी सरकार करेगी। ऐसा नहीं है कि मकानों को तोड़ कर नहरें बनवा दी हैं और मकानों के ऊपर से बिजली की लाईनें बिछा दी गई हैं। हमारी सरकार का यह फैसला है कि गांवों में मकानों, स्कूलों और चाहे जोहड़ों के ऊपर से बिजली की लाईनें जाती हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा। चाहे उनको कलम्प लगा कर या खम्बे लगाकर हटाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की जान-माल की रक्षा करेंगे।

Enactment of Law to check Damage of Roads

***1698. Shri Rajinder Singh Bisla, :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to enact any law to check the damage of the roads in the State on the pattern of the Control of National Highway (Land and Traffic) Act, 2002 enacted by the Government of India; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : नहीं श्रीमान जी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से इस सदन का, सरकार का और खासकर के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस प्रश्न से मैंने यह जानकारी लेने का प्रयास किया है कि भारत सरकार ने पार्लियामैंट में एक्ट बनाया हुआ है The Control of National Highways (Land & Traffic), Act, 2002 है, जिसके अनुसार नैशनल हाई-वेज सैन्टर गवर्नमैंट की प्रापर्टी समझी जाती है। इसमें सड़कों की डैमेज का, एन्क्रोचमैंट करने का फलां-फलां अधिकारी को अधिकार दिया गया है। और फलां-फलां अधिकारी का कर्तव्य भी है, एम्पावर्ड है कि जो भी इस अधिनियम की उल्लंघना करता है वह उसके खिलाफ एक्शन ले। आज सारे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा सड़कों का नेटवर्क हमारे प्रदेश के अंदर ही है लेकिन कहीं भी किसी एक्ट, रूल या नोटिफिकेशन में किसी भी अधिकारी को यह पावर नहीं दी गयी है और न ही इस बारे में किसी की कोई अकांउटेबिलिटी है। अगर एक आदमी लापरवाही से पानी डालकर सड़क को डैमेज करता है तो इससे बड़ा भारी नुक्सान होता है और सरकार का इस पर काफी पैसा खर्च होता है लेकिन सड़क को डैमेज करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, लिया जाता है और प्राय:अधिकारी वर्ग द्वारा यह कह दिया जाता है इस बारे मे किसी को पावर नहीं है, कोई एक्ट नहीं हैं, कानून नहीं है। मैं आपके माध्यम से श्री रामपाल माजरा जी से विनम्र निवेदन

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

करूंगा कि अपने उत्तर में केवल 'नो सर' करने के बजाए जब भी इनको टाईम मिले तो ये अधिकारी वर्ग को यह आदेश दें कि यह जो एक्ट है इसमें वे गो थ्रु हों। मेरा इनसे यह निवेदन है कि विधान सभा का तो काम ही कानून बनाना है और पुराने कानूनों में अमैंडमैन्ट करना है। सबसे जरूरी काम तो यही है कि विधान सभा लैजिसलेशन बनाये। इसलिए मैं दोबारा से उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि खाली 'नो सर' कहने के बजाए कम से कम इस बारे में आप गौर करें और अगर आप कन्विंस हो जाते हैं, समझ जाते हैं तो इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए या इस बारे मे एक कानून बना दिया जाना चाहिए ताकि करोड़ों रुपये की जो रोडज डैमेज हो जाती है यह डैमेज न हों। इसलिए मैं भाजरा जी से निवेदन करते हुए इस बारे मे आश्वासन चाहूंगा।

श्री रामपाल भाजरा : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में वैसे तो Control of National Highway (Land and Traffic) Act, 2002 है और जो Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 है उसमें ज्यादातर प्वायंट्स आलरेडी कवर किये गये है फिर भी बिसला जी ने एक बहुत ही अच्छा मामला उठाया है। इन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय मार्ग नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002 है इसको हरियाणा प्रदेश में भी इनकोरपोरेट करें। इनकी बात सही है लेकिन स्पीकर सर, इसके अंदर कई प्वायंट्स हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। उच्च मार्ग के भिन्न-भिन्न प्रकार के यातायात का नियंत्रण, उच्च मार्ग पर अस्थाई तौर पर यातायात को बंद करने के बारे में, उच्च मार्ग को स्थाई तौर पर बंद करना या रोकने के बारे में कार्यवाही करने या उच्च मार्ग पर एक विशेष श्रेणियों के यातायात के प्रयोग करने पर पाबंदी, उच्च मार्ग के क्षतिग्रस्त एवं रोकथाम और वाहनों एवं पशुओं को खतरनाक हालत में छोड़ने के लिए उन्होंने अधिनियम बनाया है। चूंकि बिसला जी एक बुद्धिजीवी और अच्छे लायक विधायक हैं इन्होंने एक अच्छा मामला उठाया है। इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे और साथ ही हम यहां के हालात को भी स्टडी करके अगर यह ऐप्लीकेबल होगा तो हम इस बारे में कानून बनाएंगे। इन विपक्ष के भाईयों ने तो कोई सुझाव दिया नहीं लेकिन बिसला जी हमारे साथी है इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है अच्छी बात है इसको हम इनकोरपोरेट करेंगे।

श्री पूर्ण सिंह डावड़ा : स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश स्पीड ब्रेकर्ज के बारे में आया हुआ है। आजकल सड़कों के ऊपर जो हाई-स्पीड की गाड़ियां चलती हैं उनकी ग्राउंड क्लीयरैन्स बहुत थोड़ी होती है। खासतौर से इस तरह की गाड़ियां जब से हमारे मुल्क में आयी हैं तब से स्पीड ब्रेकर्ज को लेकर बहुत दिक्कत आ रही है लेकिन इस बारे में कहीं पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाईवेज पर सारे स्पीड ब्रेकर्ज लीगली अनअथोराइज्ड हैं। अब तो एक इजी वे आउट देखा हुआ है कि अगर कहीं किसी रोड पर किसी की डैथ हो जाती है तो स्पीड ब्रेकर्ज बना दिए जाते हैं और फिर मन मर्जी से उनको हाई लेवल का बना दिया जाता है तो This is a problem Sir. इसके कारण काफी कॉस्टली कॉस्टली व्हीकल्ज टूट चुके हैं और जब इन स्पीड ब्रेकर्ज पर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी दोबारा से उठाते है तो तेल के खर्चे मे भी दो तीन किलोमीटर का डिफरैन्स आ जाता है। ऐक्सीडैंट के चांसिज और दूसरी चीजें आ जाती है स्पीड ब्रेकर का इसमें मार्क नहीं है। इस विषय में मैं चाहूंगा कि महकमा इस पर रोशनी डाले ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय काबिल साथी ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न रेज किया है। मैं बताना चाहूंगा कि नैशनल हाइवे पर तो स्पीड ब्रेकर हैं नहीं। स्टेट हाईवे पर

कहीं पर एक-दो जगह होते हैं। जहां तक इस बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट की गाईडलाईन्ज हैं, वर्ल्ड बैंक की गाईडलाईन्स हैं वह यह है कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिएं। लेकिन स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में हमने इस प्रकार की सड़कें बनाई हैं, रन थ्रू सड़कें बनाई हैं इतनी बढ़िया सड़कें बनाई हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोग मांग करने लग गए हैं कि स्पीड ब्रेकर भी जरूर बनाये जाएं और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर कई जगह लोगों ने जाम लगाए हैं। हमने इतनी मोटरेबल सड़कें बना दी कि 130-140 कि०मी० प्रति घण्टा की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। फिर भी नॉर्मस के मुताबिक हम इसको ऐग्जामिन कर लेंगे। हम तो स्पीड ब्रेकर नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन लोगों की मांग पर बनाने पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग डैमोक्रेटिक हैं, हमारी पार्टी डैमोक्रेटिक है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी डैमोक्रेटिक हैं। सड़कों पर स्पीड से दौड़ती हुई कारों को देखकर गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं और मांग करते हैं कि इस गांव में जरूर स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी के समक्ष लोगों ने यह मांग रखी है कि यहां-यहां पर स्पीड ब्रेकर बनने चाहिएं। हम अगर स्पीड ब्रेकर न भी बनाएं तो कई जगह लोग खुद बना लेते हैं। मैं आपने साथी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि स्पीड ब्रेकर न बनाए जाएं और लोगों की मांग पर बनें भी तो स्लोप में बनने चाहिएं । (विघ्न)

आई०जी० (रिटायड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सड़कें बनती हैं लेकिन उनमें क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया जाता है इसके लिए कोई न कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आगे सड़क बनती जाती हैं और पीछे टूटती जाती हैं। इस प्रकार सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती है।

श्री अध्यक्ष : इस सप्लीमैंट्री का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप बैठ जाएं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो चीज बनती है वह टूटती भी है, आदमी पैदा होता है वह मरता भी है यह प्रकृति का नियम है और इस नियम में कोई रूकावट नहीं की जा सकती है। लेकिन कहीं कोई गलत मैटीरियल लगा हो, कोई बेकायदगी हुई हो तो बताएं। क्वालिटी कंट्रोल का अलग से महकमा बना हुआ है यदि कोई पर्टिकुलर शिकायत हो तो आप हमें दें हम उसको विभाग से ऐग्जामिन कराएंगे। मैंने कल भी चर्चा के दौरान बताया था कि बारिश की वजह से सड़कें टूटी हैं और टूटती हैं क्योंकि पानी और लुक का बैर है। फिर भी हम सारी की सारी सड़कों की रिपेयर कराएंगे। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनें। पूरा देश इस बात की सराहना कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत है और आपके नोटिस में है तो आप पर्टिकुलरली बताएं कि कौन सी सड़क खराब है या फलां ठेकेदार ने बेकायदगी की है तो मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन देता हूं कि हम उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे।

Teaching of Yoga in Schools

***1622. Shri Kanwar Pal :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make the education of Yoga as a compulsory subject in the schools; if so, the time by which it is likely to be made compulsory ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौधरी बहादुर सिंह) : जी नहीं,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of Free Travelling Facilities in Haryana Roadways Buses

***1633. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide free travelling facilities in Haryana Roadways Buses to all the categories of handicapped persons in the State along with the criteria to be adopted ?

परिवहन मन्त्री (श्री अशोक कुमार) : श्रीमान जी, 100 प्रतिशत शारीरिक विकलांग एवं अन्धे व्यक्तियों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा पहले ही प्रदान की हुई है। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई और प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Making of Water Courses Pucka in Dabwali Constituency

***1597 Shri Sita Ram. :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to make water courses 'pucka' in Dabwali Constituency; and

(b) If so, the time by which the above said water courses are likely to be made 'pucka' ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) हां, श्रीमान जी, भाखड़ा कैनाल कमाण्ड में खालों को पक्का करने के लिए योजना का शुभारम्भ नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 1.11.03 हो चुका है। इस योजना के द्वारा 31946 लाख रुपये की लागत से 239154 हैक्टर एरिया को लाभ पहुंचेगा। यह योजना हरियाणा के आठ जिलों अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जीन्द, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में क्रियान्वित होगी। डबवाली विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत खालों को पक्का किया जायेगा।

(ख) डबवाली विधान सभा क्षेत्र जिला में 14 नये खालों पर काम शुरू हो चुका है तथा यह काम धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा किया जायेगा।

Opening of P.H.C. in Roopbadaka and Uttawar

***1589. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister of State for Health be pleased to State :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new P.H.C. in Roopbadaka and Uttawar in Hathin Constitutency ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल०रंगा) : (क) रूपबड़ाका में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है। रूपबड़ाका के नज़दीक, उत्तावड़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से कार्यरत है।

(ख) लागू नहीं होता ।

Repair of Roads in Yamuna Nagar Constituency

***1608. Shri Malik Chand Gambhir,** : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the following damaged roads in Yamuna Nagar Constituency are likely to be repaired—

1. Yamuna Nagar to Shadipur ;
2. Shadipur road to Raipur Kami Majra ;
3. Road of Model Town, Yamuna Nagar ;
4. Roads of Model Town Colony, Yamuna Nagar ; and
5. Hamida Colony to Panjupur Paraliel to Canal ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, माडल टाऊन यमुनानगर में प्रश्न की क्रम संख्या तीन व चार की सड़कों की मरम्मत पहले ही की जा चुकी है।

शादीपुर-रायपुर कामी माजरा सड़क तथा हमिदा कालोनी से पंजूपुर तक सड़क जो नहर के समान्तर है, की मरम्मत अगले तीन महीनों में किए जाने की सम्भावना है। यमुनानगर -शादीपुर सड़क की मरम्मत का कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा। इस दौरान इस सड़क की मरम्मत पैच लगा कर की जा रही है।

Repair of Road in Village Swarupgarh

***1647. Shri Jagjit Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that road passing through village Swarupgarh, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani which leads to Delhi (via Imlota) is in a very bad condition ; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said road ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी। उक्त सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Number of Haryana Roadways Buses

***1658. Sh. Puran Singh Dabra** : Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(a) the total number of buses in Haryana Roadways as on 24-7-99; and

(b) the total number of buses, at present, in the Haryana Roadways together with the number of new buses introduced from the period from 25-7-1999 ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : श्री मान जी,

(क) हरियाणा राज्य परिवहन में 24.7.99 को कुल 3728 बसें थी।

(ख) हरियाणा राज्य परिवहन में 31.12.2003 को कुल 3451 बसें थी। दिनांक 25.7.99 से 31.1.2004 तक हरियाणा राज्य परिवहन की 2144 पुरानी बसों को नई बसों से बदला गया है।

Construction of the Building for New Jails

*** 1653. Shri Suraj Mal :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of building of new jails constructed in the State during the period from the year 2002 to date ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हरियाणा राज्य में तीन नई जेलों की इमारतों का निर्माण कार्य वर्ष 2002 से अब तक निर्माणाधीन है, जिनके नाम निम्नलिखित है :—

1. जिला जेल, गुड़गांव (प्रथम चरण, जिसकी क्षमता 1328 बन्दियों को रखने की है, का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसका प्रयोग 16.11.2003 से किया जा रहा है) ।

2. जिला जेल, करनाल।

3. जिला जेल, नारनौल।

Protecting Animals from disease

***1759. Shri Nafe Singh Jundla :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to stop the spread disease in animals and to protect their health from the communicable diseases in the State; if so, the details thereof ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद इलियास) : जी हाँ श्रीमान्, पशुधन एवं कुक्कट में फैलने वाली बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित कार्यक्रम हैं।

Repair of Roads

***1655. Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of District Karnal —

(i) Aincla to Padha via Balpabana ;

(ii) Kurlan to Salwan ;

(iii) Kurlan to Jalmana ;

(iv) Assandh to Deragama ;

(v) Assandh to Chugama ;

(vi) Assandh to Deragujrabian ;

(vii) Kond road to Kutana ;

(viii) Mormajra to Salwan ;

(ix) Salwan to Kubulpurkhera; and

(x) Salwan to Tejpurkhera.

if so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी। इस स्थिति में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

Upgradation of Primary/Middle Schools

***1675. Smt. Anita Yadav :** Will the Minister of State for Education be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government, Primary Schools/Middle Schools of Koharar, Kheri, Jakhala and Bithia of Salhawas constituency to Government Middle Schools/High Schools; and

(b) if so, the time by which the aforesaid schools are likely to be upgraded.

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री बहादुर सिंह) : नहीं श्रीमान जी,

अतारांकित प्रश्न एवम् उत्तर

Old Age Pension

183. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the amount of old age pension in the State in near future ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री रिसाल सिंह) : नहीं श्रीमान् ।

Recruitment of Police Constables

184. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the district-wise number of constables, if any, recruited in the State during the year 2002-2003; and

(b) the criteria of selection of said constables in the State ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ श्री मान जी, मांगा गया उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रखा है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

विवरण

वर्ष 2002-2003 में जिलावार की गई भर्ती का विस्तृत विवरण।

क्रम सं०	जिला का नाम	भर्ती किये गये सिपाही
1.	हिसार	317
2.	भिवानी	554
3.	सिरसा	289
4.	फतेहाबाद	133
5.	जीन्द	468
6.	रोहतक	267
7.	सोनीपत	290
8.	पानीपत	161
9.	करनाल	202
10.	झज्जर	259
11.	अम्बाला	165
12.	यमुनानगर	122
13.	कैथल	247
14.	कुरुक्षेत्र	190
15.	पंचकुला	48
16.	गुड़गांव	166
17.	फरीदाबाद	152
18.	नारनौल	212
19.	रिवाड़ी	142
20.	चण्डीगढ़	11
21.	पंजाब	13
22.	राजस्थान	9
23.	उत्तर प्रदेश	10
24.	दिल्ली	8
	कुल	4435

सिपाहियों के चयन करने का तरीका

पुलिस सिपाहियों की भर्ती संशोधित पंजाब पुलिस नियमों, हरियाणा राज्यार्थ, के अनुसार की जाती है। सिपाही की भर्ती के लिए उम्मीदवार का कद कम से कम 5'-9'' (पांच फुट नौ इन्च) तथा सामान्य छाती पैमाईश 1-5 इन्च (एक इन्च एवं आधा इन्च) विस्तार सहित 33 इन्च है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप में ऊंचाई व छाती की पैमाईश के माप में एक इन्च की सीमा तक छूट दी जाती है। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाती है। सिपाही के रूप में चयन लिए पात्रता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से 10+2 पास है। परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा किसी भी जाति का भूतपूर्व सैनिकों की अर्हता दसवीं पास है। शारीरिक माप के आधार पर योग्य पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाती है जिसके कुल अंक 20 है। जो उम्मीदवार कम से कम 9 अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त करता है उनका साक्षात्कार/पुलिस सेवा के लिए योग्यता की जानकारी के लिए लिया जाता है। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा के केवल 15 अंक होते है। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूचि बनाई जाती है । सामान्य प्रवर्ग के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिकों प्रवर्ग के उम्मीदवारों की पृथक-पृथक योग्यता सूचि तैयार की जाती है।

Vacant Posts of Judicial Officers

185. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to State :-

(a) whether any posts of Judicial Services are lying vacant in the State at present; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the said vacancies together with the criteria thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) इस समय हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के संवर्ग में 75 तथा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में 16 रिक्तियां हैं।

(ख) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) की 75 रिक्तियां को भरने हेतु अपनी सिफारिशें भेजने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कर लिया है।

हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (वरिष्ठ न्यायिक शाखा) के 16 पदों को हरियाणा के वकीलों के समुदाय से सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6-12-2003 को अधिसूचना जारी कर दी गई है और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के उम्मीदवारों के चयन हेतु तरीका निम्न प्रकार है :—

(1) किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक अर्हक नहीं विचारा जायेगा जब तक वह मौखिक परीक्षा सहित सभी पेपरों में कुल मिला कर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर लेता।

(2) अर्हक उम्मीदवारों का योग्यता क्रम हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित पेपर तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों के अनुसार कड़ाई से निश्चित किया जाएगा :

परन्तु दो या उससे अधिक उम्मदवारों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में आयु में बड़े उम्मीदवार को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(3) अधीन सिविल न्यायधीश (कनिष्ठ मण्डल) के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों के नाम विज्ञापित रिक्तियों से अधिक 30 प्रतिशत की सीमा तक चयन के क्रम में उच्च न्यायालय रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे, ताकि किसी कारण से न भरे गए शेष विज्ञापित पदों के लिए किसी अनुषंगिकता को पूरा किया जा सके।

निलम्बित सदस्य श्री रघुवीर सिंह कादियान तथा श्री जयप्रकाश बरवाला को वापस बुलाने के लिए अनुरोध करना।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हमारे दो माननीय सदस्य विधान सभा के सत्र से बाकी समय के लिए निलम्बित कर दिये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको दोबारा से सदन में वापस बुला लिया जाये क्योंकि यह इस सरकार की टर्म का आखिरी सैशन है।

श्री अध्यक्ष : अब बजट पेश होगा। आज कोई जीरो आवर नहीं होता इसलिए आप बैठ जाइये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैंने एक कालिंग एटैंशन मोशन regarding increase of charges for medical treatment in the State of Haryana दिया था उसका फेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आपका कालिंग अटैंशन मोशन हास्पिटल्ज के बारे में था वह कल के लिए ऐडमिट कर लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैंने एक और ऐडजर्नमेंट मोशन ऐप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम के बारे में दिया था उसका फेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आपका वैट के बारे में जो ऐडजर्नमेंट मोशन था वह डिसअलाऊ कर दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानित सदस्य कई मर्तबा इस महान सदन के सदस्य रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन जीरो आवर नहीं होता परन्तु ये मानते ही नहीं हैं। भजन लाल जी इनको आप समझाओ। इनको इतनी समझ नहीं है। भजन लाल जी और भूपेन्द्र हुड्डा दोनों बैठे हुए हैं फिर भी कैप्टन खड़े हो जाते हैं क्या करें इनका । (विघ्न)

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2004-2005.

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन में 2004-05 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

2. माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे देश ने गत वर्षों में शुरू किये गये प्रमुख आर्थिक एवं ढांचागत सुधारों की बदौलत आर्थिक शक्ति की नई ऊंचाईयों को छुआ है। हरियाणा अपने कर्मठ नागरिकों और विवेकशील राजनैतिक नेतृत्व के परिणामस्वरूप आर्थिक उदारीकरण के लाभों को समेकित करके अपने आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने में अग्रणी राज्य रहा है। यह इस सरकार का पांचवा बजट है। हमने पिछले वर्षों की भांति आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण पर विशेष बल के साथ गतिशील आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है। हम अपने मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में लोगों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त रखने में सफल रहे हैं।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था

3. राज्य की आर्थिक नीति में अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समेकित विकास की परिकल्पना की गई है। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण, जो माननीय सदस्यों को पहले ही उपलब्ध करवाया जा चुका है, में राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों (1993-94) पर 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2001-02 में 35,062 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 36,876 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान मूल्यों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2001-02 में 60,212 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 65,837 करोड़ रुपये हो गया।

4. क्षेत्रवार समीक्षा से पता चलता है कि वर्ष 2002-03 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के अंशदान में 0.8 प्रतिशत की मामूली कमी आई, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंशदान में क्रमश: 5.8 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत की वद्धि हुई। परन्तु राज्य की अर्थ-व्यवस्था की ढांचागत संरचना से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि क्षेत्र शामिल है, अभी भी प्रमुख क्षेत्र है, बावजूद इसके कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था में इसका योगदान वर्ष 1993-94 में 42.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2002-03 में 29.4 प्रतिशत रह गया है। द्वितीयक और

[प्रो० सम्पत सिंह]

तृतीयक क्षेत्रों का अंशदान वर्ष 2002-03 में बढ़कर क्रमश: 28.0 प्रतिशत और 42.6 प्रतिशत हो गया, जबकि वर्ष 1993-94 में यह क्रमश: 26.2 प्रतिशत और 31.3 प्रतिशत था। इसके स्पष्ट होता है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

5. स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2002-03 में बढ़कर 14,757 रुपये हो गई, जबकि वर्ष 2001-02 में यह 14,250 रुपये थी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001-02 में 24,820 रुपये से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 26,632 रुपये हो गई है।

6. वर्ष 2003-04 के दौरान मूल्य वृद्धि जारी रही । अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) नवम्बर, 2002 में 489 से बढ़कर नवम्बर, 2003 में 504 हो गया। मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि 3.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) नवम्बर, 2002 से नवम्बर, 2003 की अवधि में 435 से बढ़कर 445 हो गया। यह वृद्धि 2.3 प्रतिशत है।

7. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों की स्थिति और दसवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये अपनाई गई नीति का विवरण दिया था। संक्षिप्त में, राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 12,000 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें सामाजिक सेवाओं के विस्तार और आर्थिक आधारभूत संरचना में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

(इस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

10.34 वार्षिक योजना 2003-04

8. राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2003-04 के लिये 2100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया। परन्तु, योजना आयोग ने संसाधनों की समीक्षा करने के उपरान्त राज्य योजना का परिव्यय 2091 करोड़ रुपये निर्धारित किया। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव रहा। वर्ष के दौरान बजट के बाद अनेक ऐसी गतिविधियां हुई, जिनका योजनागत संसाधनों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय करों के हमारे हिस्से में 38.49 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 640.65 करोड़ रुपये से कम होकर 602.16 करोड़ रुपये रह गया। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में 45.18 करोड़ रुपये की कमी आई। हमें आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये लगभग 350 करोड़ रुपये का योजनेतर खर्च स्वीकृत करना पड़ा। किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च स्वीकृत करना पड़ा। स्थानीय क्षेत्र विकास कर से प्राप्त आय ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के लिये 41.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा। बिजली निगमों की देयता के एकबारगी निपटान की वजह से हमें 174 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज देयता वहन करनी पड़ी। इसी प्रकार, परिवहन विभाग को एक्सग्रेशिया के रूप में 19 करोड़ रुपये की राशि और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप हमें राज्य योजना के 2091 करोड़ रुपये के मूल परिव्यय को संशोधित करके 1850 करोड़ रुपये करना पड़ा। तथापि, निर्धारित क्षेत्रों के अन्तर्गत परिव्यय में कमी नहीं की गई है।

9. मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हमने राजस्व में अपने साधनों से वृद्धि करने और गैर विकासात्मक खर्च में कमी करने के भरसक प्रयास किये हैं। मैं इस गरिमामय सदन को आश्वासन देता हूँ कि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से आवंटन किया जायेगा।

कर संग्रह

10. उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) प्रणाली लागू करने में उल्लेखनीय राजनैतिक इच्छा शक्ति और साहस का परिचय दिया है, क्योंकि देश का कोई भी अन्य राज्य ऐसा नहीं कर सका। वैट प्रणाली एक सरल, निष्पक्ष, ज्यादा पारदर्शी व कुशल प्रणाली है। इससे राज्य सरकार को काफी फायदा हो रहा है। चालू वर्ष में दिसम्बर, 2003 तक कर राजस्व, जिसमें बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर, स्थानीय क्षेत्र विकास कर तथा मनोरंजन कर की राशि शामिल है, में 16 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि होकर यह 2930 करोड़ रुपये हो गया। चालू वर्ष में दिसम्बर तक वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियों में 358 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और ये 2741 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। इस अवधि में केवल वैट प्रणाली के अन्तर्गत 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि होकर 2126 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ। राज्य में कर संग्रह में वृद्धि न केवल क्षेत्र के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक है, बल्कि यह देश में उच्चतम वृद्धियों में से एक है। इसका श्रेय मुख्यत: व्यापारियों और उद्योगपतियों को जाता है, जिन्होंने वैट प्रणाली अपनाने में काफी उदारता दिखाई जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित हुआ और वैट के कारण मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

वार्षिक योजना 2004-05

11. उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की सामाजिक न्याय के साथ विकास की नीति 2004-05 के दौरान जारी रहेगी। हमने वार्षिक योजना 2004-05 के लिये 2175 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जो वार्षिक योजना 2003-04 के 1850 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय से 17.6 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय योजना आयोग अपने अन्तिम दौर के विचार-विमर्श में इस प्रस्तावित परिव्यय को स्वीकृति प्रदान करेगा। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं में आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिजली, सिंचाई सड़कें और सड़क परिवहन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिये 941.36 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो कुल प्रस्तावित परिव्यय का 43.3 प्रतिशत है। सड़क और सड़क परिवहन को पहली प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिये 376.20 करोड़ रुपये (17.3 प्रतिशत) का परिव्यय निर्धारित किया गया है। बिजली के उत्पादन, सम्प्रेषण और वितरण को उचित अधिमान दिया गया है, जिसके लिये 302.16 करोड़ रुपये (13.9 प्रतिशत) की राशि उपलब्ध करवाई गई है। सिंचाई क्षेत्र के लिये 263 करोड़ रुपये (12.1 प्रतिशत) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

12. सामाजिक सेवाओं की ओर समुचित ध्यान दिया गया है और इनके लिये 919.87 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो कुल परिव्यय का 42.3 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं में, वयोवृद्ध नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं की पेंशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग हैं और राज्य का इनके प्रति नैतिक कर्त्तव्य बनता है। इनके कल्याण के लिये 330 करोड़ रुपये (15.2 प्रतिशत) के परिव्यय की

[प्रो० सम्पत सिंह]
व्यवस्था की गई है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को 195 करोड़ रुपये (9.0 प्रतिशत) की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिये 165 करोड़ रुपये (7.6 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 73.20 करोड़ रुपये (3.4 प्रतिशत) की राशि रखी गई है।

13. प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, पोषाहार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार व सुधार के लिये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 18.34 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

14. उपाध्यक्ष महोदय, वार्षिक योजना 2004-05 के लिये 2175 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है और हमारी सरकार इन संसाधनों का लोकहित में सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये वचनबद्ध है।

बारहवां वित्त आयोग

15. मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि ग्यारहवें वित्त आयोग का अवार्ड हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों के लिये कम लाभदायक रहा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2000-05 की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों में हरियाणा का हिस्सा 1.238 प्रतिशत से कम होकर 0.944 प्रतिशत रह गया, जिससे प्रदेश को 1100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हमने आयोग के इस दृष्टिकोण के विरुद्ध सभी केन्द्रीय मंचों पर प्रतिवेदन किया। अब बारहवां वित्त आयोग गठित कर दिया गया है और इसकी सिफारिशें 2005-10 तक मान्य रहेंगी। हमने आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में ज़ोर देकर आग्रह किया है कि जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय के घटकों को ज्यादा अधिमान दिया जाना चाहिये ताकि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन वाले राज्यों के प्रयासों को पुरस्कृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हमने आयोग से आग्रह किया है कि वर्ष 2005-10 की अवधि के दौरान राज्य को कुल 17,865.22 करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की जाये ताकि कमी वाले क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं के स्तर में सुधार लाया जा सके और राज्य की विशेष समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके। इस राशि में मूलभूत सेवाओं के सुधार के लिये 3,462.79 करोड़ रुपये, विशेष समस्याओं के समाधान के लिये 6,059 करोड़ रुपये की राशि, आपदा राहत कोष के लिये 750 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों के लिये 2,271 करोड़ रुपये, ब्याज सबसिडी के रूप में 1538.35 करोड़ रुपये और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिये 3784.08 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। बारहवां आयोग जब राज्य के दौरे पर आयेगा तो हम इन मुद्दों को उसके समक्ष उठायेंगे।

बिजली

16. राज्य के विकास में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिये, हमारी सरकार बिजली क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दे रही है। अप्रैल-दिसम्बर 2003 की अवधि के दौरान बिजली की औसत उपलब्धता 53 प्रतिशत बढ़कर 561 लाख यूनिट हो गई, जबकि वर्ष 1998-99 में यह 367 लाख यूनिट थी। कृषि क्षेत्र को भी अधिक बिजली प्राप्त हुई। इस क्षेत्र को प्रतिदिन औसतन 289 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई, जबकि वर्ष 1989-99 में इसे प्रतिदिन औसतन 184 लाख

यूनिट बिजली सप्लाई की जाती थी। कृषि क्षेत्र की सप्लाई में यह वृद्धि 57 प्रतिशत है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान बिजली की प्रस्थापित क्षमता में 828 मैगावाट की वृद्धि हुई, जो 1989-99 की बिजली उत्पादन क्षमता के मुकाबले 34 प्रतिशत अधिक है।

17. वर्ष 2002-03 में राज्य के अपने बिजली उत्पादन स्टेशनों से 6212 मिलियन यूनिट सर्वाधिक उत्पन्न की गई, जबकि 1989-99 के दौरान 3784 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था। बिजली उत्पादन में यह वृद्धि 64 प्रतिशत से अधिक है। चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान प्लांट लोड फैक्टर 70.79 प्रतिशत रहा, जबकि 1989-99 में यह 49.24 प्रतिशत था। यह वृद्धि 21.55 प्रतिशत है। साथ ही, तेल खपत, कोयला खपत इत्यादि जैसे अन्य उपलब्धि मापदण्डों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में काफी कमी हुई है।

18. वर्तमान सरकार ने लाऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन की सातवीं और आठवीं यूनिटों का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिससे आगामी वित्त वर्ष में प्रतिदिन 100 लाख से अधिक अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इस परियोजना पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है और इन यूनिटों की क्रमश: अक्तूबर, 2004 और फरवरी, 2005 में चालू हो जाने की सम्भावना है। यमुनानगर ताप बिजली परियोजना का निर्माण कार्य भी निकट भविष्य में शुरू किया जायेगा। पश्चिमी यमुना नहर पन बिजली परियोजना चरण -II (14.4 मैगावाट) का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। साथ ही, राज्य और क्षेत्र से बाहर के स्रोतों से अतिरिक्त बिजली जुटाने के लिये बिजली की खरीद की अल्पकालीन और दीर्घकालीन व्यवस्था की जा रही है।

19. वर्तमान सरकार के शासनकाल में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से 71 नये ग्रिड सब-स्टेशन चालू किये गये, 240 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई और 1100 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाईनों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में सम्प्रेषण एवं वितरण कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जो आगामी एक वर्ष के अन्दर पूरे हो जायेंगे। गत साढ़े चार वर्ष के दौरान ट्रांसफार्मरों की क्षमता में 4025 एम०वी०ए० की रिकार्ड वृद्धि की गई।

20. नलकूपों को बिजली के कनैक्शन शीघ्र जारी करने की आवश्यकता को समझते हुए गत चार वर्ष के दौरान 36,000 से अधिक नये नलकूप कनैक्शन दिये गये, जबकि इससे पहले प्रतिवर्ष औसतन 1000 से भी कम कनैक्शन दिये जाते थे। घरेलू तथा गैर-घरेलू कनैक्शन जारी करने के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया ताकि आवेदकों को भविष्य में बिना इंतज़ार किये मांग पर कनैक्शन दिये जा सकें।

21. बिजली निगमों के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय प्रतिष्ठानों को देय बिजली निगमों की बकाया राशि के भुगतान के लिये एकबारगी निपटान प्रणाली शुरू की है, जिसके अन्तर्गत 2022 करोड़ रुपये के कर-मुक्त बॉंड जारी किये गये हैं।

22. वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में बिजली क्षेत्र के लिये योजना तथा योजनेतर कुल 1320.42 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

जल संसाधन

23. सिंचाई का पानी समृद्धि और राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण घटक है। भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। इसलिये, वर्तमान सरकार जल संरक्षण और इसके प्रबन्धन पर अधिक बल दे रही है। उपलब्ध पानी का सिंचाई के लिये सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। बिजाई मौसम से पूर्व सिंचाई चैनलों की घास व गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से समय पर किया जा रहा है।

24. उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सिंचाई पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किये हैं। भाखड़ा जलाशय से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा नहरी पानी उपलब्ध होने की सम्भावना है। जवाहर लाल नेहरु उठान सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत पानी की सप्लाई में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यमुना नदी के नहरी नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। अनेक पुनर्सम्भरण योजनायें शुरू की गई हैं।

25. सिंचाई प्रणाली की तीव्र गति से मरम्मत और विस्तार की आवश्यकता को महसूस करते हुए राज्य सरकार आर आई डी एफ के अन्तर्गत नाबार्ड से धन ले रही है। नाबार्ड द्वारा अब तक 708.13 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। जनवरी, 2003 तक नाबार्ड से 312.63 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। नाबार्ड को 100 करोड़ रुपये की एक नई परियोजना स्वीकृति के लिये भेजी जा रही है। वर्ष 2003-04 के दौरान नाबार्ड से वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिये 49.19 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है और वर्ष 2004-05 के लिये 51.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

26. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंजाब के क्षेत्र में सतलुज-यमुना लिंक (एस वाई एल) नहर को पूरा करवाने के भरसक प्रयास कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस नहर का शेष कार्य केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी मार्ग निर्देशन में शुरू करने हेतु सीमा सड़क संगठन को मनोनीत करने के केन्द्र सरकार को निर्देश दे। पंजाब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 दिसम्बर, 2003 को निर्देश दिये गये कि वह दो सप्ताह के अन्दर अपना जवाब दायर करे। इस मामले की सुनवाई शीघ्र होने की सम्भावना है।

27. बजट अनुमान 2004-05 में सिंचाई क्षेत्र के लिये कुल 734.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं पुल

28. सड़कें आर्थिक विकास के लिये बुनियादी आधारभूत संरचना है। इसलिये, वर्तमान सरकार सड़क तन्त्र को सुधारने, चौड़ा करने व उसका विस्तार करने पर काफी ज़ोर दे रही है। अब राज्य में 23,057 किलोमीटर लम्बी पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कों का काफी बड़ा नैटवर्क है, जबकि वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के समय इनकी लम्बाई 5100 किलोमीटर थी। वर्ष 2003-04 के दौरान 2859 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया गया। हमारा वर्ष 2004-

05 के दौरान 320 करोड़ रुपये के परिव्यय से 163 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण और 2080 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार का प्रस्ताव है।

29. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार सड़कों के सुधार के लिये नाबार्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) योजना बोर्ड, हुडको तथा केन्द्र सरकार इत्यादि जैसे सभी यथासम्भव स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था करती रही है। नाबार्ड ने 60 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों के निर्माण के लिये आर आई डी एफ-III, IV और VIII के अन्तर्गत 58.99 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की हैं। एक पुल और 60 सड़कों का निमार्ण कार्य पूरा हो गया है तथा शेष पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। नाबार्ड द्वारा आर आई डी एफ-IX के अन्तर्गत सड़कों के सुधार की 160 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना शीघ्र ही स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

30. हुडको ने 1955 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों के सुधार के लिये 415.18 करोड़ रुपये की दो परियोजनायें स्वीकृत की हैं। कुल 1066 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों का सुधार किया जा चुका है और अन्य मार्गों पर कार्य चल रहा है। हुडको द्वारा 325 किलोमीटर लम्बी प्रमुख ज़िला सड़कों और 7000 किलोमीटर लम्बी अन्य ज़िला अन्य सड़कों के सुधार के लिये भी 285.79 करोड़ रुपये की दो परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 6350 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया जा चुका है। हुडको की परियोजनाओं के लिये वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान क्रमश: 198.88 करोड़ रुपये और 173.38 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। हुडको की ऋणों की अदायगी पथकर से प्राप्त आय से की जायेगी। प्रदेश में 32 स्थानों पर पथकर लगाया जायेगा, जिनमें से 14 स्थानों पर पथकर संग्रह का कार्य शुरू हो चुका है।

31. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भी एन सी आर क्षेत्र में 476.15 किलोमीटर लम्बी 24 सड़कों के सुधार के लिये 63.08 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें से 22.72 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

32. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1012 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार के लिये 107.74 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान 274.81 किलोमीटर लम्बी 22 सड़कों के निर्माण के लिये 48.04 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। वर्ष 2004-05 के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 378.17 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार के लिये 81.18 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

33. राज्य सरकार ने प्रदेश में महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिये निर्माण-संधालन-हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) की पद्धति अपनाई है। कुरुक्षेत्र में वर्तमान सड़क उपरिगामी पुल की दो अतिरिक्त लेनों का निर्माण कार्य बी०ओ०टी० आधार पर जारी है। गुड़गांव-फरीदाबाद सड़क का बी०ओ०टी० आधार पर सुधार करने के लिये निविदायें पुन: आमन्त्रित की जा रही हैं। रेलवे द्वारा सड़क उपरिगामी पुलों की लागत की 50 प्रतिशत राशि देने के निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार ने 182 करोड़ रुपये की लागत के 17 सड़क उपरिगामी पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

34. उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार पर विशेष बल दिया है। इस नीति को लागू करने के लिये राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की 28.41 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार के लिये 707.50 लाख रुपये के तीन अनुमान स्वीकृत किये गये हैं। ये सभी कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरे कर लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग -10 को बहादुरगढ़ से रोहतक तक चारमार्गी बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर रोहतक बाईपास के लिये भूमि अधिग्रहण का 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

35. वर्ष 2004-05 में सड़क और भवन क्षेत्र के लिये योजना तथा योजनेतर कुल 601.49 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

परिवहन

36. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था के लिये एक कुशल सड़क परिवहन नैटवर्क आवश्यक है। यह प्रसन्नता की बात है कि हरियाणा रोडवेज़ को इसकी संचालन कुशलता और उत्पादकता की दृष्टि से देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं में से एक माना गया है। इसके बस बेड़े में 3431 बसें हैं, जो प्रतिदिन 10.88 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और लगभग 11 लाख यात्रियों को तेज़, कुशल और आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं। वर्तमान सरकार ने हरियाणा रोडवेज़ की सेवाओं और लाभ में सुधार लाने के लिये बस बेड़े का नवीनीकरण व सुधार करने, समय-सारिणी और मार्गों को तर्कसंगत बनाने तथा बस सेवाओं में वृद्धि करने जैसे अनेक उपाय किये हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 2044 पुरानी बसों के स्थान पर नई अत्याधुनिक बसें चलाई गई हैं और वर्ष 2004-05 के दौरान 600 बसों को बदला जायेगा। यह संतोष का विषय है कि इनपुट लागत में बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 2002-03 में कर पूर्व लाभ बढ़कर 120.85 करोड़ रुपये हो गया, जोकि वर्ष 1999-2000 में 26 करोड़ रुपये था। सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप दुर्घटना दर वर्ष 1998-99 में 0.17 प्रति लाख किलोमीटर से कम होकर वर्ष 2002-03 में 0.11 रह गई।

37. हमारी सरकार ने हरियाणा से गुजरने वाले चार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के विनियमन एवं प्रबन्धन के लिये हरियाणा हाईवे पैट्रोल एण्ड रोड सेफ्टी नामक राजमार्गी सुरक्षा संगठन का गठन करके सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसके फलस्वरूप, इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत की कमी आई है। भारत सरकार ने इस मार्गदर्शी प्रयास की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को यह प्रणाली अपनाने की सलाह दी है।

38. हमारी सरकार ने संसाधनों में वृद्धि करने और लोगों को कुशल परिवहन सेवायें उपलब्ध कराने के लिये एक व्यापक परिवहन नीति शुरू की है, जिसके तहत 747 मार्गों पर 2073 बस परमिट देने की पेशकश की गई है। फरीदाबाद और गुड़गांव शहरों में बस संचालन के लिये सिटी बस सेवा नामक एक अन्य योजना भी स्वीकृत की गई है। हम प्राइवेट ऑपरेटरों को कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देने पर भी विचार कर रहे हैं।

39. बजट अनुमान 2004-05 में परिवहन सेवाओं के लिये कुल 591.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पेयजल

40. लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हरियाणा को अपने प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने का गौरव प्राप्त है। अब हम प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में पेयजल की कमी वाले 1829 गांव हैं, जहां पेयजल आपूर्ति का वर्तमान स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के स्वीकृत मानदण्ड से कम है।

41. चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर तक 237 गांवों में पेयजल आपूर्ति का स्तर बढ़ाया जा चुका है। वर्ष 2004-05 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 58.28 करोड़ रुपये की लागत से 525 गांवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है।

42. गांवों की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये नाबार्ड से सहायता ली गई है। नाबार्ड द्वारा 689 गांवों के लिये 198.62 करोड़ रुपये की सात परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। आर०आई०डी०एफ० योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान 75.45 करोड़ रुपये की राशि और आगामी वर्ष के दौरान 77.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

43. माननीय सदस्यगण इस बात की सराहना करेंगे कि हरियाणा के सभी शहरों में नल जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध है। 31 मार्च, 2003 तक पेयजल आपूर्ति का 75 प्रतिशत सेवा स्तर प्राप्त कर लिया गया । चालू वर्ष के दौरान पेयजल आपूर्ति का सेवा स्तर 76 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये 5.86 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष के दौरान 12.65 करोड़ रुपये की लागत से जल सेवा स्तर 77 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

44. एन०सी०आर० योजना बोर्ड ने सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रिवाड़ी और गुड़गांव में पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज के सुधार व विस्तार के लिये 71.56 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। चालू वर्ष के दौरान 22.13 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी और आगामी वर्ष के लिये 26.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एन०सी०आर योजना बोर्ड ने मैगनेट टाऊन-हिसार में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के सुधार व विस्तार के लिये 15.94 करोड़ रुपये की एक अन्य परियोजना भी स्वीकृत की है। केन्द्र सरकार ने अम्बाला सदर, कैथल और भिवानी शहरों की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये 49.70 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। भिवानी शहर में पेयजल आपूर्ति परियोजना चालू कर दी गई है और कैथल तथा अम्बाला सदर में कार्य प्रगति पर है।

45. उपाध्यक्ष महोदय, यमुना कार्य योजना चरण-I के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यमुना नदी में गिरने वाले गंदे पानी के प्रदूषण स्तर को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित कर लिया गया है। केन्द्र सरकार ने इसकी सराहना करते हुए यमुना कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत हरियाणा के लिये 62.50 करोड़ रुपये की एक परियोजना प्रशासनिक रूप से स्वीकृत कर दी है ताकि यमुना कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत आने वाले शहरों में अतिरिक्त अन्तारोधन और परावर्तन सीवर कार्य किया जा सके । इस पर शीघ्र ही कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

46. बजट अनुमान 2004-05 में जन स्वास्थ्य विभाग के लिये कुल 553.20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

47. प्रदेश की 75 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है और राज्य की आय में इसका योगदान 29.4 प्रतिशत है। हमारे लिये यह सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। वर्तमान सरकार के ठोस प्रयासों और किसानों के कठोर परिश्रम से वर्ष 2001-02 के दौरान 132.99 लाख टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

48. खरीफ 2002 के दौरान राज्य में भंयकर सूखा पड़ा, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परन्तु हमारी सरकार द्वारा पानी, बिजली और अन्य कृषि इनपुट्स का पर्याप्त प्रावधान किये जाने से वर्ष 2002-03 के दौरान 123.36 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। खरीफ 2002 के दौरान गन्ने (गुड़) का उत्पादन 10.70 लाख टन के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया।

49. वर्ष 2003-04 के दौरान अनुकूल मौसम के कारण खाद्यान्न उत्पादन 137.97 लाख टन होने की सम्भावना है, जो 128.48 लाख टन के लक्ष्य को पार करके अब तक का रिकार्ड उत्पादन होगा। गन्ने (गुड़), कपास और तिलहनों का उत्पादन क्रमश: 9.82 लाख टन, 13.59 लाख गांठें और 9.83 लाख टन होने का अनुमान है।

50. वर्ष 2004-05 के लिये 144 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना (गुड़), कपास और तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 10 लाख टन, 15 लाख गांठे और 8.30 लाख टन रखा गया है।

51. उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार प्रकृति की चुनौतियों के प्रति सजग है। कृषि में बेहतर जोखिम प्रबन्धन के उपाय के रूप में हमारी सरकार ने खरीफ 2004 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत बाजरा, कपास, मक्का, अरहर, चना और सरसों जैसी उच्च जोखिम वाली फसलें आयेंगी।

52. माननीय सदस्य इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि वर्तमान फसल पद्धति को बदलने की नितांत आवश्यकता है। हमें कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न देने वाली फसलों की कमी करके उच्च मूल्य प्रदान करने वाली फसलें उगानी चाहियें। किसानों को इस सम्बन्ध में जागरूक करने के लिये राज्य में चेतना अभियान शुरू किये गये हैं। फसलों का विविधिकरण तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक परम्परागत फसलों के स्थान पर बोई जाने वाली अन्य फसलों से किसानों को ऊंची आय सुनिश्चित नहीं होती। हमने फसलों के विविधिकरण के लिये एक कार्य योजना बनाई है और बारहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि वह फसलों के विविधिकरण के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये 960 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश करें।

53. हमारी सरकार ने ज़ीरो टिलेज प्रौद्योगिकी, भूमिगत पानी के सदुपयोग, छिड़काव सिंचाई प्रणाली जैसे विभिन्न किफायती उपाय शुरू किये हैं। किसानों की सहायता के लिये ज़िला

स्तर पर किसान क्लबों के गठन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नि: शुल्क हैल्पाईन व किसान पुरस्कार जैसी अनेक नई योजनायें शुरू की हैं।

54. राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की काफी सम्भावनायें हैं। राज्य सरकार किसानों को मछली पालन के लिये मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। वर्ष 2002-03 तक मछली उत्पादन बढ़कर 35,182 टन हो गया । राज्य सरकार ने वर्ष 2003-04 में मछली उत्पादन का लक्ष्य 41,500 टन निर्धारित किया। इसके मुकाबले, दिसम्बर, 2003 तक 7,658 हैक्टेयर जलीय क्षेत्र को मछली पालन के अन्तर्गत लाकर 25,900 टन मछली उत्पादन किया गया। वर्ष 2004-05 के दौरान 42,000 टन मछली उत्पन्न करने और 2100 लाख मछली बीज का भण्डार करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये तीन मार्गदर्शी परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

55. ग्रामीण आर्थिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा में दूध की उपलभ्यता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 656 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 226 ग्राम है। इस समय, राज्य में 2421 पशु संस्थान 110.58 लाख पशुधन को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य सरकार ने दुधारू पशुओं के आनुवंशिक सुधार और उन्हें रोगमुक्त रखने के लिये विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किये हैं। भैंसों, हरियाणा नसल की गायों और बैलों के लिये बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 5,764 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड पशु प्रजनन एवं आनुवंशिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2004-05 के लिये 54.72 लाख टन दूध, 14,198 लाख अंडों और 26.66 लाख किलोग्राम ऊन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को पशु रोग मुक्त बनाने के लिये "मुह-खुर रोग निवारण" की एक केन्द्रीय परियोजना शुरू की गई है।

56. बजट अनुमान 2004-05 में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिये कुल 472.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वन

57. उपाध्यक्ष महोदय, वन पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 3.5 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं। सामाजिक और फार्म वानिकी के अन्तर्गत गहन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं और ग्रामीणों के सक्रिय सहयोग से पंचायती भूमि पर वृक्ष लगाये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1999 के बाद वन क्षेत्र में 790 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान 450 लाख पौधों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर 2003 तक 428 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान 4.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने औषधीय पौधों की आर्थिक क्षमता के दृष्टिगत राज्य में इनकी खेती पर विशेष ज़ोर दिया है। विभिन्न विभागों के प्रयासों में तालमेल लाने के लिये राज्य औषधीय पौधा बोर्ड गठित किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों के पास 50 एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें कम से कम दस एकड़ क्षेत्र पर औषधीय पौधे लगाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

58. वन्य प्राणियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत सरकार ने भिण्डावास पक्षी विहार का विकास कार्य शुरू किया है, जहां एक नेचर इन्टरप्रेटेशन

[प्रो० सम्पत सिंह]

सैन्टर विकसित किया जा रहा है ताकि लोगों को पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनकी किसान हितैषी भूमिका बारे शिक्षित किया जा सके।

सहकारिता

59. सहकारी आन्दोलन ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में 22,545 सहकारी समितियां हैं, जिनके 47.05 लाख सदस्य हैं। किसानों की ऋण सम्बन्धी लगभग 75 प्रतिशत जरूरतें 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिनकी 348 शाखायें और 2423 मिनी बैंक हैं, के माध्यम से पूरी की जाती हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान सहकारी संस्थाओं द्वारा 4100 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण और 221.30 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण वितरित किये जायेंगे।

60. राज्य में सहकारी चीनी मिलें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। चालू वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों को गन्ने के भुगतान के लिये 130 करोड़ रुपये की बजट सहायता उपलब्ध करवाई गई । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राज्य की पांच सहकारी चीनी मिलों ने तकनीकी कुशलता और गन्ना विकास के लिये पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

61. बजट अनुमान 2004-05 में सहकारी क्षेत्र के लिये योजना और योजनेतर 34.49 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया।

खाद्य एवं आपूर्ति

62. माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि खाद्यान्नों के मामले में हरियाणा एक बहुधान्यक प्रदेश है और केन्द्रीय अन्न भण्डार को अनाज देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। केन्द्रीय अन्न भण्डार में हमारे राज्य का गेहूं का योगदान 30 प्रतिशत और चावल का योगदान 8 प्रतिशत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वर्तमान प्रणाली किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने का एक कारगर साधन रही है। खरीफ 2003-04 के दौरान 23.39 लाख मीट्रिक टन लेवी धान की खरीद की गई, जिसमें से केन्द्रीय अन्न भण्डार को 13.50 लाख मीट्रिक टन चावल दिया जायेगा। रबी 2003-04 में केन्द्रीय अन्न भण्डार के लिये 51.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। रबी 2004-05 के लिये 342 मण्डियों के नैटवर्क के माध्यम से 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने के लिये व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं। खरीफ 2003-04 के दौरान दक्षिणी हरियाणा में 38 मण्डियों के माध्यम से बाजरे की खरीद के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये। राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा पहली बार 505 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर 1.99 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। बाजरा उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को इस उपाय से काफी राहत मिली है। वर्तमान सरकार मण्डियों में आने वाले किसानों के समस्त गेहूं, धान और अन्य अनाजों की खरीद करने के लिये वचनबद्ध है।

औद्योगिक विकास

63. उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में से एक है और यह अपनी सर्वोत्तम आधारभूत संरचना, बेहतर कानून व्यवस्था और उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्धों के कारण देशी तथा विदेशी निवेशकों की प्रथम पसन्द के रूप में उभरा है।

इसके फलस्वरूप, वर्तमान सरकार के शासनकाल में 198 नये बड़े तथा मध्यम स्तर के उद्योग और 4,500/- लघु उद्योग स्थापित हुए हैं।

64. राज्य सरकार ने उद्योगों के विकास के लिये एक व्यावहारिक नीति अपनाई है। राज्य की नई उद्योग नीति का मुख्य उद्देश्य सहायक नीतियों के साथ-साथ उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर निवेश के अनुकूल वातावरण पैदा करना है। गत लगभग चार वर्ष के दौरान हमारे मुख्यमंत्री के अनथक प्रयासों की बदौलत प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश हुआ, जिससे दो लाख लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा हुए । अत्याधुनिक औद्योगिक सम्पदायें विकसित करने के हमारे प्रयासों से 6500 एकड़ क्षेत्र का एक भूमि बैंक स्थापित हुआ है। हमारी उदार औद्योगिक नीति के कारण हुडा और एच०एस०आई०डी०सी० ने जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान 6,128 औद्योगिक प्लाट आबंटित किये । विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी गठित किया गया है।

65. माननीय सदस्यगण इस बात की प्रशंसा करेंगे कि हरियाणा राज्य औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों के क्रियान्वयन में 37 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत के मुकाबले 59 प्रतिशत औसत के साथ देश का प्रथम राज्य बन गया है। नवम्बर, 2003 तक 33,535 करोड़ रुपये के निवेश के 2984 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 1782 ज्ञापन क्रियान्वित किये जा चुके हैं। हमारी सरकार के शासनकाल में 7,306 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश के 759 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन क्रियान्वित किये गये हैं।

66. बेहतर आधारभूत संरचनाओं और व्यापार व उद्योग को दिये गये प्रोत्साहनों के कारण राज्य का निर्यात गत वर्ष 10,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया । चालू वर्ष के दौरान निर्यात बढ़कर 12,000 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिये ज़िला गुड़गांव के गांव गढ़ी हरसरू में 3000 एकड़ क्षेत्र में एक विशेष आर्थिक ज़ोन स्थापित कर रही है।

67. हरियाणा निवेशकों, विशेषत: विदेशी निवेशकों की पहली पसन्द बन गया है। वर्तमान सरकार के शासनकाल के दौरान 3132 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव क्रियान्वित किये गये हैं और 4819 करोड़ रुपये के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

68. उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय तेल निगम अपने पानीपत तेल शोधक कारखाने की क्षमता दुगुनी कर रहा है और यह 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक पैट्रो कैमिकल कॉम्पलैक्स भी स्थापित कर रहा है।

69. बजट अनुमान 2004-05 में औद्योगिक विकास के लिये योजना और योजनेतर कुल 79.44 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं रोज़गार

70. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उद्योग तथा व्यापार की आवश्यकता को पूरा करने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी शिक्षा के विकास को अत्यधिक महत्व देती है। वर्तमान तथा नये शिक्षा संस्थानों में सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार व उन्नयन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

71. औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग समस्त राज्य में 195 संस्थानों के तन्त्र, जिसमें 80 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 115 व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शामिल हैं, के माध्यम से लगभग 31,000 छात्रों को सर्टिफिकेट कोर्स की शिक्षा प्रदान कर रहा है। इनमें से 31 संस्थान केवल महिलाओं के लिये हैं। लोहारु में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का भवन पूरा हो गया है और चौटाला तथा गन्नौर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों तथा पंचकूला और टांकड़ी में व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। वर्ष 2004-05 के दौरान कलाली-थलाली और भांडा हेड़ी में व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

72. तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने और प्रत्येक जिले में एक बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र को इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणास्वरूप,डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों की संख्या 1999 में 58 से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 117 हो गई हैं और सीटों की संख्या भी 9,308 से बढ़कर 20,977 हो गई हैं। चार संस्थानों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की स्नातकोत्तर कक्षायें शुरू करने पर विशेष बल दिया गया है। जिला सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटा में शैक्षणिक सत्र 2003-04 से चौ0 देवी लाल मैमोरियल इंजीनियरिंग के नाम से एक नया कालेज शुरू किया गया है, जो 240 सीटों के साथ इंजीनियरिंग की चार शाखाओं में शिक्षा प्रदान कर रहा है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये 19.36 करोड़ रुपये की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्वीकृत की गई है।

शिक्षा

73. स्कूली सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ सबके लिये प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, राज्य सरकार की प्राथमिकता का प्रमुख क्षेत्र रहा है। उच्चकोटि की शिक्षा मानव संसाधन विकास के लिये अति आवश्यक है। इस तथ्य के दृष्टिगत हमारी सरकार 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने के भरसक प्रयास कर रही है। ताकि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। राज्य में अब 1.11 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल की सुविधायें उपलब्ध हैं। इस समय राज्य में 11,500 राजकीय प्राथमिक स्कूल हैं। हमारी सरकार ने स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायतों के सक्रिय सहयोग से विशेष दाखिले अभियान शुरू किये हैं। लोगों में शिक्षा की आवश्यकता और इसके महत्त्व के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिये इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी न छोड़ने के लिये प्रेरित करने हेतु मुफ्त वर्दी एवं लेखन सामग्री, उपस्थिति पुरस्कार, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और विशेष उपस्थिति भत्ते जैसे विशेष प्रोत्साहन शुरू किये गये हैं। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की कुल संख्या 19.72 लाख है।

(इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

74. वर्तमान सरकार केन्द्र सरकार की भागीदारी से सर्वशिक्षा अभियान की योजना को क्रियान्वित करने के लिये वचनबद्ध है। यह योजना वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक

बनाने, वर्ष 2010 तक आठ वर्ष तक की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने तथा वर्ष 2003 तक स्कूलों में सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक बहुआयामी योजना है। यह योजना राज्य के सभी 19 ज़िलों में क्रियान्वित की जा रही है।

75. हमारी सरकार उच्चतर शिक्षा को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता के प्रति सजग है। चालू वर्ष के दौरान रोज़गारोन्मुखी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 23 सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों को स्व-वित्त व्यवस्था आधार पर नये कोर्स शुरू करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में छः शिक्षा समितियों को बी०एड०, विधि और डिग्री कक्षायें संचालित करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये हैं।

76. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, सिरसा में चौ० देवी लाल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इस विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने से हजारों विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। वर्ष 2003-04 के दौरान इस विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

77. बजट अनुमान 2004-05 में शिक्षा क्षेत्र के लिये योजना और योजनेतर कुल 1938.56 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिये 951.20 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिये 606.01 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा के लिये 245.20 करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा के लिये 52.23 करोड़ रुपये, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये 51.61 करोड़ रुपये तथा कला, सांस्कृतिक एवं युवा कल्याण गतिविधियों के लिये 32.31 करोड़ रुपये शामिल हैं।

खेल एवं युवा कल्याण

78. वर्तमान सरकार खेलों के विकास तथा बुनियादी आधारभूत संरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। जिसके फलस्वरूप हरियाणा ने उत्कृष्ट खिलाड़ी पैदा करके खेल के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता लाने के लिये एक खेल नीति बनाई है, जो देश में अनूठी है।

79. वर्ष 2003 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। हैदराबाद में हुए एफ्रो-एशियन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों, जो विभिन्न खेलों की भारतीय टीम के सदस्य थे, ने 10 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त किया । ये उपलब्धियां हमारी प्रगतिशील खेल नीति के कारण सम्भव हो पाई हैं।

80. वर्ष 2003-04 के दौरान 445 खिलाड़ियों को 161.46 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिये गये। किसी खेल प्रतियोगिता के दौरान किसी खिलाड़ी की दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा चोट पहुंचने पर उसके परिवार को पांच लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देने की एक नई योजना शुरू की गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिये खिलाड़ियों को भर्ती करके, जिनका दर्जा नियमित सरकारी कर्मचारियों का होगा, 13 खेलों की टीमें तैयार की जा रही हैं। गुड़गांव में 2.35 करोड़ रुपये की लागत से राज्य का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्थापित किया गया है और वर्ष 2004-05 के दौरान शाहाबाद में ऐसा दूसरा एस्ट्रोटर्फ स्थापित कर दिया

[प्रो० सम्पत सिंह]

जायेगा। राज्य सरकार वर्ष 2004 में एथेन्स में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भारत के लिये स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

समाज कल्याण

81. अध्यक्ष महोदय, जननायक चौ० देवी लाल दलितों, बुजुर्गों, विधवाओं, विकलागों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के मसीहा थे। वर्तमान सरकार उनके स्वप्नों को साकार करने के लिये समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि- अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों का सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन तथा विकलांग पेंशन की योजनायें जारी हैं। पेंशन के लिये चालू वर्ष में 310.47 करोड़ रुपये तथा आगामी वर्ष में 340.07 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। बुजुर्गों के कल्याण के उपाय के रूप में प्रदेश में 606 ताऊ देवीलाल वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण किया जा चुका है। और 356 निर्माणधीन हैं।

82. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान सरकार ने 2 अक्तूबर, 2003 से चौ० देवी लाल जन सुरक्षा बीमा योजना (देवीरक्षक) नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके अन्तर्गत किसी परिवार के 18 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को एक लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जायेगा। अपंगता की स्थिति में उसकी अपंगता के आधार पर 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक की राशि मुआवजे के रूप में दी जायेगी। इस उपाय से शोक संतप्त परिवार को राहत मिलेगी। परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत भी प्रमुख कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 10,000 रुपये की राहत उपलब्ध करवाई जा रही है।

83. राज्य सरकार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें क्रियान्वित कर रही है। कन्यादान योजना को संशोधित करके इसका विस्तार किया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत 5100 रुपये का वित्तीय लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2003 तक 19,695 लाभानुभोगियों को 10.04 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों की बस्तियों में सुधार लाने के लिये भी अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

84. वर्तमान सरकार मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महिलाओं और बच्चों के विकास तथा सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश के 111 ग्रामीण और पांच शहरी विकास खण्डों में 13,546 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 8.84 लाख बच्चों तथा 2.30 लाख गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान 11.48 लाख लाभानुभोगियों को इस योजना के

अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। प्रदेश की 16,324 किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाने और 19,608 लड़कियों की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से 85 समेकित बाल विकास परियोजना क्षेत्रों में किशोरी शक्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने के लिये बालिका समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है, जिससे 4486 लड़कियों को लाभ हुआ है।

85. हमारी सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शूरवीर सैनिकों के कल्याण के प्रति भी सजग है। भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये राज्य में विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

86. बजट अनुमान 2004-05 में समाज कल्याण योजनाओं के लिये कुल 558.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवायें

87. वर्तमान सरकार राज्य के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा उठाने के लिये वचनबद्ध है। इस समय राज्य में 50 अस्पतालों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 404 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 2299 उपकेन्द्रों, 12 ज़िला तपेदिक केन्द्रों और 55 औषधालयों के माध्यम से लोगों को उच्चकोटि की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, पी0जी0आई0एम0एस, रोहतक तथा मैडिकल कॉलेज, अम्बाला द्वारा भी लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

88. राज्य सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित सुविधायें उपलब्ध करवाने के भरसक प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद 44 स्वास्थ्य संस्थानों के नये भवन पूरे किये गये हैं और 39 संस्थानों के भवन निर्माणधीन हैं, जबकि 20 और भवनों की आधारशिला रखी गई है। इसके अतिरिक्त,राज्य में चिकित्सा केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों और उच्चकोटि की दवाईयों से सुसज्जित किया गया है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार लाया जा सके।

89. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहली नवम्बर, 2003 से स्वास्थ्य आपके द्वार नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत रक्त की कमी, तपेदिक, यौन रोग, नेत्र इत्यादि से सम्बन्धित रोगों की पहचान के लिये सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की उनके घरद्वार पर जांच की जायेगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 2004 तक स्वास्थ्य जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान राज्य के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तीन दिवसीय स्वास्थ्य मेले आयोजित किये जा रहे हैं।

90. मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में एक हज़ार पुरूषों के पीछे 861 महिलायें हैं और यह अनुपात 933 के अखिल भारतीय अनुपात के मुकाबले न्यूनतम है। इससे लिंगानुपात में असंतुलन पैदा हो गया है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिये प्रदेश में 24 नवम्बर, 2003 से संशोधित देवीरूपक योजना लागू की गई है। अब दम्पतियों को पूर्व संशोधित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय लाभ सबसे छोटा बच्चा पांच वर्ष का होने से पूर्व परिवार नियोजन के स्थाई उपाय अपनाये जाने पर पुरूष के लिये 45 वर्ष की आयु तक

[प्रो० सम्पत सिंह]

और महिलाओं के लिये 40 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होंगे । अब तक इस योजना के अन्तर्गत 3915 दम्पतियों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 181 दम्पतियों ने बंध्यकरण आप्रेशन करवा लिये हैं। योजना आयोग ने इस योजना की काफी सराहना की है।

91. राज्य में अगस्त, 2003 से एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत सैकेण्डरी कक्षाओं तक के सभी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अब तक लगभग 11 लाख बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और उन्हें उपचार दिया गया है।

92. राज्य सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिये एक विशेष अभियान शुरू किया है। वर्ष 2003-04 के दौरान पल्स पोलियो के चार उप-राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय अभियान चलाये गये हैं। जनवरी, 2004 में इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अभियान के अन्तर्गत 38,20,890 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाये गये।

93. राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषत: महिलाओं और बच्चों की सेवाओं में सुधार लाने के लिये यूरोपियन आयोग द्वारा वित्त पोषित सैक्टर निवेश कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस समय यह कार्यक्रम ज़िला अम्बाला, यमुनानगर और करनाल में क्रियान्वित किया जा रहा है और यह विभिन्न चरणों में अन्य ज़िलों में भी लागू किया जायेगा। संशोधित तथेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम, जो इस समय राज्य के पांच ज़िलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, से उपचार दर बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है और "डिफाल्ट रेट" कम होकर 12 प्रतिशत रह गई है। हरियाणा एड्स नियन्त्रण सोसायटी ने पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक में एक तथा अन्य 12 सिविल अस्पतालों में स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच केन्द्र स्थापित किये हैं। राज्य के सभी ज़िलों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

94. बजट अनुमान 2004-05 में मैडिकल शिक्षा और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति समेत स्वास्थ्य सेवाओं के लिये योजना और योजनेतर 406.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास तथा पंचायत

95. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर जुटाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है । इसलिये, हमारी मुख्य नीति ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत संरचना का निर्माण करने और उसका सुधार करने की रही है। राज्य सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत स्व-रोज़गार के सभी पहलू आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक 793.63 लाख रुपये की राशि खर्च की गई, जिससे 6731 व्यक्तियों को लाभ हुआ, जिनमें 3054 अनुसूचित जातियों के व्यक्ति और 4005 महिलायें शामिल हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक 48.40 लाख श्रम दिवस जुटाने के लिये 4,719.37 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और दिहाड़ीदारों को 39,632 मीट्रिक टन गेहूं वितरित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण व्यक्तियों की आवास सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 के अन्त तक 1213.90 लाख रुपये की लागत से 4893 मकानों का निर्माण कार्य

पूरा किया गया और 1972 मकान निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक 56.48 लाख रुपये की लागत से 258 मकान निर्मित किये गये। मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2003 तक वाटर शैड परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर 1984.32 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

96. निचले स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं को अनेक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये गये हैं ताकि वे विकास प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें और प्रजातांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ हो सके। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास समितियां गठित की गई हैं। प्राथमिक स्कूलों का प्रशासनिक नियन्त्रण पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को चालू वर्ष से सामान्य बजट सहायता के अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र विकास कर से प्राप्त होने वाली आय में से भी उनके हिस्से की राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है ताकि यह राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा सके।

97. बजट अनुमान 2004-05 में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये कुल 130.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम

98. हरियाणा ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन को लोगों के घरद्वार पर ले जाने में पहल की है। यह कार्यक्रम न केवल राज्य में, अपितु देश में काफी लोकप्रिय हो गया है। राज्य के लोग जब विकास कार्यों के लिये मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत करते हैं, तो वे गर्व महसूस करते हैं। अब राज्य में इस कार्यक्रम का चौथा चरण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत घोषित किये गये विकास कार्यों के लिये हरियाणा ग्रामीण विकास कोष तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत 28,822 विकास कार्य पूरे किये जा चुके हैं और 14,393 पर काम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1891.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

नगरपालिका प्रशासन और नगर विकास

99. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समेकित कल्याण के प्रति भी उतनी ही चिंतित है और उनके लिये सर्वोत्तम नगरपालिका सेवायें तथा नागरिक सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध है। इस समय 68 स्थानीय निकाय, जिनमें एक नगर निगम, 21 नगर परिषदें और 46 नगरपालिकायें शामिल हैं, शहरों में ये सेवायें उपलब्ध करवा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं अर्थात् शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरण सुधार, राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम, छोटे और मध्यम शहरों के समेकित विकास, शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन इत्यादि के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवें वित्त आयोग के अवार्ड के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता भी इन निकायों को उपलब्ध करवाई जा रही है। नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिये भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिये 10.70 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। स्थानीय क्षेत्र विकास कर से प्राप्त आय में से स्थानीय निकायों के हिस्से की राशि भी नगर विकास कार्यों के लिये उपलब्ध

[प्रो० सम्पत सिंह]

करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने इन निकायों के लिये राज्य संसाधन हस्तांतरित करने के तौर-तरीके सुझाने हेतु द्वितीय राज्य वित्त आयोग गठित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद इन निकायों को वित्तीय अन्तरण कर दिये जायेंगे।

100. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) लोगों को रहने के लिये बेहतर पर्यावरण उपलब्ध करवाने और विभिन्न सामाजिक व वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये भूमि सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिये वचनबद्ध है। हुडा ने चालू वर्ष के दौरान 7055 आवासीय प्लॉट और 1084 औद्योगिक प्लॉट बिक्री के लिये पेश किये और नवम्बर, 2003 तक शहरी सम्पदाओं में संरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर 203.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च की । ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के विकास के लिये नियोजित ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

101. बजट अनुमान 2004-05 में नगर विकास के लिये 60.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन-एक नई पहल

102. सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी) समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख घटक है। हमारी सरकार ने आई०टी० से सम्बद्ध उद्योगों के लिये बुनियादी संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संचार तन्त्र की आधारभूत संरचना का और अधिक विकास करने के लिये एक मार्गाधिकार नीति बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने चार कम्पनियों के साथ समझौते किये हैं। आई०टी० उद्योग को एकल खिड़की सेवा उपलब्ध करवाने के लिये गुड़गांव में एक क्षेत्रीय आई०टी० उद्योग प्रोत्साहन कार्यालय स्थापित किया गया है। उन्नत आई०टी० आधारभूत संरचना के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 के दौरान हरियाणा का सॉफ्टवेयर निर्यात 4450 करोड़ रुपये हो गया, जो राज्य के कुल निर्यात का 45 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने प्रदेश में साईबर पार्क और साईबर सिटी स्थापित करने के लिये मानदण्डों को भी उदार बनाया है। गुड़गांव में 78 एकड़ क्षेत्र पर साईबर सिटी की स्थापना के लिये लाईसैंस जारी किया गया है ताकि यहां आई०टी० से सम्बद्ध उद्योग स्थापित किये जा सकें। प्रदेश की 104 तहसीलों/उप-तहसीलों में हरियाणा राजस्व दस्तावेज़ पंजीकरण सूचना प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है।

वित्तीय प्रबन्धन

103. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबन्धन समग्र राज्य प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। हाल के वर्षों में केन्द्र स्तर पर नीतिगत परिवर्तनों और राज्य स्तर पर विकास की प्रतिबद्धताओं की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव पड़ा। राज्य प्रशासन, पेंशनों व ब्याज भुगतान के बढ़ते खर्च तथा सार्वजनिक ऋण भार चिन्ता के विषय हैं, जिनके प्रति राज्य सरकार सजग है तथा उचित प्रयास कर रही है।

104. वर्तमान सरकार ने वित्तीय सुधारों की आवश्यकता को महसूस करते हुए वित्तीय पुनर्गठन के अनेक उपाय किये हैं। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रशासनिक ढांचे और अमला पद्धति को तर्कसंगत बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं।

105. अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्व में वृद्धि करने, खर्च में कमी करने और ऋण प्रबन्धन की एक संयुक्त नीति अपनाई है। हमने करों के बेहतर अनुपालन के लिये अपने कर प्रशासन में प्रमुख सुधार करके नियमों, प्रक्रियाओं व कर-दरों को तर्कसंगत बनाया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) की सर्वाधिक पारदर्शी तथा कुशल प्रणाली अपनाई है। ज्यादा कर संग्रह के रूप में इस प्रणाली के स्पष्ट परिणाम सामने आये हैं।

106. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में ऋण देयताओं को पूरा करने के लिये ऋण निधारण कोष के गठन का उल्लेख किया था। हमने भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति उपरान्त समेकित ऋण निवारण कोष तथा गारंटी विमोचन कोष का गठन अधिसूचित कर दिया है, जो पिछले वर्ष से चालू हो गये हैं। इन कोषों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

107. अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई ऋण विनियम योजना हमारे लिये बहुत लाभदायक रही है। हमने अब तक 13 प्रतिशत और इससे ऊंची ब्याज दर वाले 1764 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋणों का भुगतान किया है। आगामी वर्ष के दौरान 1320 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋणों को चुकता करने का भी हमारा प्रस्ताव है। इस योजना से लगभग 190 करोड़ रुपये की ब्याज राहत मिलने की सम्भावना है।

108. उपरोक्त उपायों से हमारे वित्तीय प्रबन्धन में काफी सुधार हुआ है। राजस्व घाटा 1998-99 में सर्वाधिक 1540.20 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 2002-03 में 685.11 करोड़ रुपये रह गया । सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशतता की दृष्टि से राजस्व घाटा 1998-99 में सर्वाधिक 3.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2002-03 में 1.04 प्रतिशत रह गया। राजकोषीय घाटा वर्ष 1998-99 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2002-03 में 2.23 प्रतिशत और वर्ष 2003-04 में 1.83 प्रतिशत रह गया । कर व सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2000-01 में 7.89 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 8.43 प्रतिशत हो गया।

109. हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि हरियाणा देश का एक मात्र राज्य है, जिसने चालू वित्त वर्ष के दौरान एक दिन के लिये भी "ओवर ड्राफ्ट" नहीं लिया। हमने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त केन्द्रीय संसाधनों का भी सदुपयोग किया है। योजना आयोग, भारत सरकार ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक में केन्द्रीय धन का सदुपयोग करने के लिये राज्य की सराहना की है।

बजट अनुमान 2004-05

110. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2004-05 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

111. वर्ष 2002-03, भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार 454.16 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और 226.98 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त हुआ । अत: वर्ष के दौरान बजट घाटे में 227.18 करोड़ रुपये का सुधार हुआ। यह राज्य सरकार के विवेकशील वित्तीय प्रबन्धन का सूचक है।

112. वित्त वर्ष 2003-04, भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार, 226.98 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और इसकी 339.58 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने

[प्रो० सम्पत सिंह]

की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान बजट सम्बन्धी लेन-देन 112.60 करोड़ रुपये के घाटे को दर्शाता है और बजट अनुमानों में 670.96 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले 331.38 करोड़ रुपये के सुधार का सूचक है। यह राजकोषीय प्रबन्धन के समुचित विनियमन की दिशा में हमारे द्वारा किये गये ठोस प्रयासों की बदौलत सम्भव हो पाया है।

113. वित्त वर्ष 2004-05, 339.58 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होने और 438.97 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान हुआ लेन देन 99.39 करोड़ रुपये के घाटे को दर्शाता है। बजट अनुमानों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिये 524.77 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य योजना के लिये 2175 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

114. वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोष में कुल प्राप्तियां 17,410.86 करोड़ रुपये की दिखाई गई हैं, जबकि वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमानों में ये 15,150.71 करोड़ रुपये की हैं। वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में 17,693.20 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है, जबकि वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमानों में यह 15,596.66 करोड़ रुपये था।

115. वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां बढ़कर 10,791.40 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमानों में ये 9,769.36 करोड़ रुपये की थीं। राजस्व प्राप्तियों में यह वृद्धि 1022.04 करोड़ रुपये अर्थात 10.5 प्रतिशत है। वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में, 11,684.02 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च अनुमानित है, जो वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमानों में 10,673.51 करोड़ रुपये के खर्च से 1010.51 करोड़ रुपये अधिक है। खर्च में यह वृद्धि 9.4 प्रतिशत है और यह मुख्यत: ब्याज भुगतान में 301.68 करोड़ रुपये, वेतन तथा पेंशन के भुगतान में 240.70 करोड़ रुपये और बिजली क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 92.38 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी के कारण हुई है।

116. अध्यक्ष महोदय, राजस्व लेखा महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। वर्ष 2002-03 के दौरान राजस्व घाटा संशोधित अनुमानों में 1086.43 करोड़ रुपये से कम होकर 685.11 करोड़ रुपये रह गया । राजस्व घाटा बजट अनुमानों में 920.28 करोड़ रुपये से कम होकर संशोधित अनुमानों में 904.15 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है। बजट अनुमान 2004-05 में इसके और कम होकर 892.62 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है।

117. अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में होने वाली 10.5 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व खर्च में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है, जो अच्छे वित्तीय प्रबन्धन का सूचक है। हमारी सरकार द्वारा शुरू किये गये राजकोषीय उपायों से राजस्व घाटे में और कमी करने का हमारा प्रस्ताव है।

118. मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार अपने नागरिकों, व्यापार व उद्योग के हितों की रक्षा के लिये वचनबद्ध है। हम ऐसी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिये हमेशा तैयार हैं, जो परेशानी का कारण हैं। जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी

सरकार ने करारोपण की वैट प्रणाली अपनाई है। हमने इस प्रणाली के अन्तर्गत वैट-विक्रेताओं को विभिन्न रियायतें दी हैं। विक्रेताओं को कर की अदायगी के लिये उत्तरदायी बनाने हेतु बिक्री की वार्षिक न्यूनतम सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। चालीस लाख रुपये तक की वार्षिक बिक्री वाले छोटे विक्रेताओं को एकमुश्त कर भुगतान का विकल्प दिया गया है। रासायनिक उर्वरकों, बायोगैस संयंत्र, बर्नर और हॉट प्लेट इत्यादि जैसी विभिन्न वस्तुओं को कर से छूट दी गई है। जैविक खादों, जिप्सम,पुरानी कारों, टायरों और ट्यूबों, बिजली के सामान इत्यादि पर कर की दर में कमी की गई है। विशेष आर्थिक ज़ोन, निर्यातोन्मुखी यूनिटों, निर्यात प्रोसैसिंग ज़ोन, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, इत्यादि के अन्तर्गत स्थापित यूनिटों द्वारा की जाने वाली बिक्री पर कर-दर शून्य है। हमें आशा है कि इन उपायों और रियायतों से व्यापारी समुदाय करों का भुगतान ईमानदारी से करेगा।

119. अध्यक्ष महोदय, प्रभावी एवं प्रतिबद्ध शासन के लिये सरकारी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पूर्णत: सजग है। हरियाणा सरकार का पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की उस सिफारिश को भी 1-4-2004 से सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार करने का प्रस्ताव है, जिसमें आयोग ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रयोग किये गए मूल सूचकांक से 50 प्रतिशत से बढ़ जाने पर महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया जाए और ऐसे महँगाई भत्ते को महंगाई वेतन माना जाए और इसकी सेवानिवृत्ति लाभों समेत सभी उद्देश्यों के लिये गणना की जाये। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा भी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 115 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने की संभावना है।

120. माननीय सदस्यगण, इस बात की प्रशंसा करेंगे कि बजट घाटा प्रबन्धनीय सीमा में है तथा प्रस्तावित उपायों से घाटे में और कमी आयेगी। हमें आशा है कि आगामी वर्ष में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों तथा केन्द्र से मिलने वाली अन्य सहायता में वृद्धि होगी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य नये कर लगाने या कर दरों में वृद्धि करने की बजाय लोगों के सहयोग से कर नियमों के निष्पक्ष व प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा ज्यादा राजस्व जुटाना है। इसलिये बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय सदस्यों तथा हरियाणा के लोगों के सहयोग व सहायता से अपने सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम होंगे।

121. इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग एवं एन आई सी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मेरी सहायता की है।

122. महोदय, अब मैं वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Speaker : Now, the House stannds adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 13th February, 2004.

*11.34 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 13th February, 2004.)

37917—H.V.S.—H.G.P., Chd.